



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 नवम्बर, 2020-कार्तिक 15, शके 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

[धारा 50 की उपधारा(1) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की सूचना]

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन एतद्वारा घोषित किया जाता है कि जबलपुर विकास प्राधिकरण, द्वारा नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS-01/JBP/2020 अर्थात् ग्राम बहदन बनाने का आशय रखता है. स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार हैं :-

सरल क्रमांक	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा (अंशों सहित)	क्षेत्रफल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
1.	शौकत मोहम्मद खान	जबलपुर	बहदन	171/1	0.4000
2.	शौकत मोहम्मद खान	जबलपुर	बहदन	173	0.0500
3.	नलिनी पति सी.एस.सिंघई एवं अन्य 7	जबलपुर	बहदन	171/3	1.1900
4.	नलिनी पति सी.एस.सिंघई एवं अन्य 7	जबलपुर	बहदन	178	1.0000
5.	नलिनी पति सी.एस.सिंघई एवं अन्य 7	जबलपुर	बहदन	179	0.4100
6.	शौकत मोहम्मद खान	जबलपुर	बहदन	172	0.3600
7.	गोवर्धन भोला	जबलपुर	बहदन	174	0.3100
8.	शौकत मोहम्मद खान	जबलपुर	बहदन	175/1	1.0200
9.	अमित जसूजा	जबलपुर	बहदन	176	1.8000
10.	गोवर्धन भोला	जबलपुर	बहदन	177	1.6000
11.	सैयद मकसूद हुसैन एवं अन्य 55	जबलपुर	बहदन	180	1.9000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
12.	बेगम अनीस बेबा एवं अन्य 24	जबलपुर	बहदन	181	1.9100
13.	मुकेश कुमार जैन	जबलपुर	बहदन	183	0.8000
14.	सैयद नसीर अली एवं अन्य 28	जबलपुर	बहदन	185/1	1.2800
15.	सुरेश कुमार पारवानी	जबलपुर	बहदन	185/2	1.2600
16.	सुरेश कुमार पारवानी	जबलपुर	बहदन	192	0.1400
17.	मनमोहन प्रसाद एवं अन्य 30	जबलपुर	बहदन	186/1	0.6900
18.	जगमोहन	जबलपुर	बहदन	186/2	0.6900
19.	अरूण कुमार चौपड़ा	जबलपुर	बहदन	188	0.4000
20.	अरूण कुमार चौपड़ा	जबलपुर	बहदन	189	0.3800
21.	सुनील जसूजा	जबलपुर	बहदन	190	1.4200
22.	अमित जसूजा	जबलपुर	बहदन	191	0.1500
23.	सुभाषचंद	जबलपुर	बहदन	193/1	0.3700
24.	सुभाषचंद	जबलपुर	बहदन	194/1	0.5200
25.	सुभाषचंद	जबलपुर	बहदन	196/1	0.7000
26.	सुभाषचंद	जबलपुर	बहदन	197/1,197/3	4.1400
27.	कान्हा एसोशिएट्स	जबलपुर	बहदन	195/5,195/6	0.6600
28.	सुभाषचंद	जबलपुर	बहदन	198/1	0.7600
29.	आशीष कुमार	जबलपुर	बहदन	193/2	1.1400
30.	संतोष कुमार	जबलपुर	बहदन	194/2	1.0000
31.	प्रफ़ुल्ल कुमार	जबलपुर	बहदन	195/1	0.4600
32.	बालजी भाई	जबलपुर	बहदन	195/3	4.3300
33.	अर्जुन भाई	जबलपुर	बहदन	195/4	0.6100
34.	रणछोड़ भाई	जबलपुर	बहदन	196/2	0.8200
35.	मूलजी भाई	जबलपुर	बहदन	198/3	0.3100
36.	अमित जसूजा	जबलपुर	बहदन	265/1	0.1200
37.	पूनम चौपड़ा	जबलपुर	बहदन	265/2	0.8900
38.	अरूण कुमार चौपड़ा	जबलपुर	बहदन	269	0.7100
39.	अमित जसूजा	जबलपुर	बहदन	266	0.5100
40.	अमित जसूजा	जबलपुर	बहदन	268	0.4500
41.	राजेन्द्र जैन	जबलपुर	बहदन	267	1.5700
42.	अरूण कुमार चौपड़ा	जबलपुर	बहदन	187	1.4200
43.	शासकीय	जबलपुर	बहदन	170	0.6800
44.	शासकीय	जबलपुर	बहदन	184	0.8700
45.	शासकीय	जबलपुर	बहदन	182	1.1100
				कुल	43.31

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, स्कीम में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार की भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किए बिना, नहीं करेगा.

[धारा 50 की उपधारा(1) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की सूचना]

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन एतद्वारा घोषित किया जाता है कि जबलपुर विकास प्राधिकरण, द्वारा नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS-03/JBP/2020 अर्थात् ग्राम कुदवारी एवं गुरदा बनाने का आशय रखता है. स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार हैं :-

सरल क्रमांक	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक (अंशों सहित)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	प्रेमलाल वल्द खूबचंद पता नि. अमखेरा	अधारताल	कुदवारी	51	0.460
2.	बेनीबाई पति मोतीलाल काछी	अधारताल	कुदवारी	52/1	0.010
3.	प्रेमलता बेवा अनिल कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य 9	अधारताल	कुदवारी	71/1	0.130
4.	मनोज कुमार पिता स्व. ठाकुरदास तिवारी	अधारताल	कुदवारी	71/2	0.030
5.	ऊषाराज सोनी पति श्री राजकुमार सोनी एवं अन्य 13	अधारताल	कुदवारी	72	0.140
6.	पुरषोत्तम, कविरा एवं अन्य 7	अधारताल	कुदवारी	73	0.140
7.	अनिल कुमार यादव, अरूण कुमार यादव	अधारताल	कुदवारी	74	0.030
8.	श्री चित्रसेनविसेन वल्द नेतलाल विसेन एवं अन्य 33	अधारताल	कुदवारी	75/1	0.375
9.	रोहणी प्रसाद श्रीवास्तव वल्द बल्देव प्रसाद श्रीवास्तव	अधारताल	कुदवारी	75/3	0.030
10.	प्रमोद पिता खिल्लन प्रसाद अग्रवाल	अधारताल	कुदवारी	75/4	0.060
11.	संदीप मिश्रा पिता विजय कुमार मिश्रा एवं अन्य 2	अधारताल	कुदवारी	75/5	0.100
12.	रिता प्रजापति पति विजेन्द्र प्रजापति	अधारताल	कुदवारी	75/6	0.010
13.	अनिल शर्मा पिता एच.सी. शर्मा	अधारताल	कुदवारी	75/7	0.020
14.	अमित कुमार मिश्रा पिता रामचरण मिश्रा, विजय प्रकाश	अधारताल	कुदवारी	75/8	0.020
15.	नेह सुमन चौबे पिता सी.ए.	अधारताल	कुदवारी	75/9	0.020
16.	पिता जे.पी. गर्ग हर्षिता गर्ग एवं अन्य 3	अधारताल	कुदवारी	75/10	0.037
17.	सजीव कुमार अग्रवाल पिता श्री बाबूलाल अग्रवाल	अधारताल	कुदवारी	75/11	0.038
18.	नजूल	अधारताल	कुदवारी	76	0.540
19.	सीखा रावत पति स्व. विजय रावत एवं अन्य 3	अधारताल	कुदवारी	78	0.270
20.	विधादेवी महावर पति राजेन्द्र प्रसाद महावर, एवं अन्य 6	अधारताल	कुदवारी	79/1	0.057
21.	नीरज कुमार वल्द बसंत कुमार जैन	अधारताल	कुदवारी	79/2	0.050
22.	मो. एहसान पिता मो. सहवान अंसारी	अधारताल	कुदवारी	79/3	0.063
23.	मोहम्मद इस्तियाक अंसारी पिता मोहम्मद अयाज एवं अन्य 5	अधारताल	कुदवारी	79/4	0.112
24.	वर्षा पति राजीव अग्रवाल	अधारताल	कुदवारी	79/5	0.240
25.	अखिल अग्रवाल पिता ब्रिजमोहन अग्रवाल, अंकित अग्रवाल	अधारताल	कुदवारी	79/6	0.050
26.	श्रीमती रत्ना पाटले पति अनिल पाटले	अधारताल	कुदवारी	79/7	0.030
27.	सुनीता सोनी पति राकेश सोनी	अधारताल	कुदवारी	79/8	0.020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
28.	अभिषेक सराफ पिता स्व. श्री आनंद मोहन जी सराफ	अधारताल	कुदवारी	79/9	0.020
29.	राजेश भाटिया वल्द मनोहल लाल भटिया	अधारताल	कुदवारी	79/10	0.030
30.	पवन कुमार मालवीय वल्द नंदलाल मालवीय, श्री के.पी. नामदेव	अधारताल	कुदवारी	79/11	0.020
31.	राजेश कुमार सोनी वल्द श्री जे.पी. सोनी	अधारताल	कुदवारी	79/12	0.010
32.	परदेसी सिंह वल्द इंद्रजीत सिंह	अधारताल	कुदवारी	79/13	0.020
33.	श्रीमती वंदना सोनी पति रामकुमार सोनी	अधारताल	कुदवारी	79/14	0.030
34.	मोहम्मद जफर खान पिता यूसूफ खान	अधारताल	कुदवारी	79/15	0.050
35.	श्रीमती ऊषा बर्मन पति रमेश कुमार बर्मन	अधारताल	कुदवारी	79/16	0.030
36.	सुरेन्द्र सिंह वल्द अबिका सिंह	अधारताल	कुदवारी	79/17	0.040
37.	एस.एन.पाठक पति सच्चिनंद पाठक	अधारताल	कुदवारी	79/18	0.010
38.	राकेश कुमार गुप्ता पिता स्व. सुंदर लाल गुप्ता	अधारताल	कुदवारी	79/19	0.095
39.	वर्षा पति राजीव अग्रवाल	अधारताल	कुदवारी	79/20	0.120
40.	अमलेन्द्र पाल पिता अमूल चरण पाल	अधारताल	कुदवारी	79/21	0.014
41.	वजहूल कमर वशीम मोहम्मद पिता शेख मोहम्मद	अधारताल	कुदवारी	79/22	0.092
42.	संतोष पिता स्व. रामकिशोर गुप्ता	अधारताल	कुदवारी	79/23	0.014
43.	रामबाई गुप्ता पति लालमन गुप्ता	अधारताल	कुदवारी	79/24	0.009
44.	श्रीमती चंद्रप्रभा संतोषी पति बसंत संतोषी	अधारताल	कुदवारी	79/25	0.010
45.	राधा पति रंगलाल चक्रवर्ती	अधारताल	कुदवारी	79/26	0.020
46.	अमित पिता महेश रजक, शशिरानी, रोहित कुमार, दिनेश	अधारताल	कुदवारी	79/27	0.033
47.	आजाद हुसेन पिता स्व. हाजीफिदा हुसेन एवं अन्य 15	अधारताल	कुदवारी	79/28	0.220
48.	नरेन्द्र सिंह पिता होरीलाल वर्मा	अधारताल	कुदवारी	79/29	0.015
49.	ईश्वर लाल पिता स्व. कालूराम	अधारताल	कुदवारी	79/30	0.016
50.	सपना सेन गुप्ता पति रंजन सेन गुप्ता	अधारताल	कुदवारी	79/31	0.015
51.	महेश सिंह पिता भूपाल सिंह राठौर	अधारताल	कुदवारी	79/32	0.014
52.	सरला सेन पति प्रकाश चंद्र सेन	अधारताल	कुदवारी	79/33	0.015
53.	रमेश कुमार पिता स्व. शिवनंदन महावर	अधारताल	कुदवारी	79/34	0.015
54.	सोनाली पिता सतीश गुप्ता	अधारताल	कुदवारी	79/35	0.020
55.	प्रकाश चंद पिता काम्ता प्रसाद तिवारी	अधारताल	कुदवारी	79/36	0.020
56.	चंद्रशेखर पिता प्रभुदत्त द्विवेदी	अधारताल	कुदवारी	79/37	0.016
57.	पी. नरसिंहराव पिता स्व. पी. मदनगोपाल राव	अधारताल	कुदवारी	79/38	0.015
58.	राजीव कुमार पिता मंजीलाल जी पंडा	अधारताल	कुदवारी	79/39	0.020
59.	मीना नायडू पिता श्री पी. नायडू	अधारताल	कुदवारी	79/40	0.035
60.	आनंद कुमार पिता स्व. रामप्रसाद रावत	अधारताल	कुदवारी	79/41	0.014

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
61.	तरूण कुमार पिता नरेन्द्र लाल गुप्ता	अधारताल	कुदवारी	79/42	0.014
62.	विद्युत कुमार पिता चितरंजन चौधरी	अधारताल	कुदवारी	79/43	0.014
63.	रवीन्द्र सिंह पिता स्व. होरी लाल वर्मा	अधारताल	कुदवारी	79/44	0.028
64.	दीपक सिंह प्रकाश सिंह पिता तुलसीराम कुशवाहा	अधारताल	कुदवारी	79/45	0.020
65.	संगीता पति प्रकाश जैन	अधारताल	कुदवारी	79/46	0.015
66.	केशव प्रसाद पिता रामअचल शर्मा	अधारताल	कुदवारी	79/47	0.014
67.	विजय शंकर पिता कालूराम वर्मा	अधारताल	कुदवारी	79/48	0.014
68.	कैलाश चंद पिता नवल किशोर श्रीवास्तव	अधारताल	कुदवारी	79/49	0.020
69.	आर.आर. नागवंशी पिता मुसीलाल नागवंशी	अधारताल	कुदवारी	79/50	0.020
70.	पुष्पा पिता स्व. तांबा स्वामी पिल्ले	अधारताल	कुदवारी	79/51	0.014
71.	देवेन्द्र कुमार पिता सूर्यनारायण चतुर्वेदी	अधारताल	कुदवारी	79/52	0.030
72.	गरिमा पिता ओमप्रकाश गुप्ता	अधारताल	कुदवारी	79/53	0.020
73.	रामराज्य पाल पिता बैनी प्रसाद पाल	अधारताल	कुदवारी	79/54	0.014
74.	महादेव प्रसाद पिता हरिराम सोनी	अधारताल	कुदवारी	79/55	0.015
75.	ए.के. नायडू पिता सी.पी. नायडू	अधारताल	कुदवारी	79/56	0.018
76.	अनिल कुमार अरूण कुमार पिता जवाहर लाल गुप्ता	अधारताल	कुदवारी	79/57	0.014
77.	हरिराम पिता रञ्जूलाल कोटवार	अधारताल	कुदवारी	79/58	0.026
78.	विजय पिता स्व. हारीलाल वर्मा	अधारताल	कुदवारी	79/59	0.028
79.	ललित किशोर पिता काशीप्रकाश दीक्षित	अधारताल	कुदवारी	79/60	0.015
80.	प्रकाशचंद्र जैन पिता कैलाशचंद्र जैन	अधारताल	कुदवारी	79/61	0.020
81.	अनिल पिता के.एल. मल्होत्रा, टी.एल. श्रीवास्तव पिता एस.एल.	अधारताल	कुदवारी	79/62	0.020
82.	सीता राठौर पति महेश	अधारताल	कुदवारी	79/63	0.014
83.	कृष्णा नायडू पिता सी.पी. नायडू	अधारताल	कुदवारी	79/64	0.035
84.	मोहम्मद सददाम पिता नसीम खान, फहमीदा	अधारताल	कुदवारी	79/65	0.041
85.	जयद खान पिता करीद खान	अधारताल	कुदवारी	79/66	0.050
86.	जसवंत कुमार वीरेन्द्र कुमार पिता स्व. सीतला प्रसाद यादव	अधारताल	कुदवारी	79/67	0.028
87.	जर्नादन शिवाजी रामकिशन एवं अन्य 4	अधारताल	कुदवारी	87	0.230
88.	श्रीमहावीर जी भगवान सा. , नारायण मुंशी एवं अन्य 3	अधारताल	कुदवारी	90	2.140
89.	पूरन लाल पिता चोखे लाल एवं अन्य 9	अधारताल	कुदवारी	92/1	0.380
90.	पूरन लाल पिता चोखे लाल एवं अन्य 9	अधारताल	कुदवारी	92/2	0.200
91.	पूरन लाल पिता चोखे लाल एवं अन्य 9	अधारताल	कुदवारी	92/3	0.200
92.	श्रीमती रूकमणी बाई बेवा एवं अन्य 6	अधारताल	कुदवारी	93	0.780
93.	अमरेश गिरी वल्द मोहन गिरी	अधारताल	कुदवारी	97	1.620

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
94.	मुकेश प्रेमलाल पुरुषोत्तम जितेन्द्र बसंतीबाई एवं अन्य 6	अधारताल	कुदवारी	98	0.040
95.	देवेन्द्र कुमार विश्वकर्मा पिता बाबूलाल विश्वकर्मा	अधारताल	कुदवारी	99	0.030
96.	कमला गोस्वामी पति अमरेश गिरी	अधारताल	कुदवारी	102	0.040
97.	कंचेदी पिता सुम्मेरा रैकवार	अधारताल	कुदवारी	115/1	0.320
98.	मोहम्मद रिजवान अंसारी पिता मोहम्मद जहीर एवं अन्य 3	अधारताल	कुदवारी	115/2	0.080
99.	नजर अली पिता हाजी अमजद अली एवं अन्य 7	अधारताल	कुदवारी	115/3	0.100
100.	नजर अली पिता हाजी अमजद अली एवं अन्य 9	अधारताल	कुदवारी	115/4	0.090
101.	परमलाल पिता सुम्मेरा रैकवार	अधारताल	कुदवारी	115/5	0.320
102.	महेन्द्र कुमार विश्वकर्मा पिता मथुरा प्रसाद एवं अन्य 11	अधारताल	कुदवारी	115/6	0.107
103.	पवन पटेल पिता प्रीतम लाल पटेल एवं अन्य 4	अधारताल	कुदवारी	115/7	0.106
104.	ललिताबाई पति चम्पूमूल एवं अन्य 8	अधारताल	कुदवारी	115/8	0.107
105.	मुरारी लाल प्रजापति पिता स्व. बालाप्रसाद एवं अन्य 32	अधारताल	कुदवारी	116	1.760
106.	राजेन्द्र प्रसाद पिता तुलाराम, रईस अंसारी,	अधारताल	कुदवारी	118	1.080
107.	किशन लाल यादव पिता स्व. दयाराम यादव एवं अन्य 23	अधारताल	कुदवारी	119/1	0.984
108.	राजेन्द्र पिता तुलाराम कोरी	अधारताल	कुदवारी	119/2	0.180
109.	जुगल किशोर पिता रामगोपाल विश्वकर्मा एवं अन्य 29	अधारताल	कुदवारी	119/3	0.410
110.	रियाजुद्दीन ऊर्फ राजू पिता सहाबुद्दीन एवं अन्य 2	अधारताल	कुदवारी	119/4	0.055
111.	महमूद अहमद पिता मो. सईद, रामविश्राम सुनील पटेल	अधारताल	कुदवारी	119/5	0.055
112.	किशन लाल यादव पिता स्व. दयाराम यादव एवं अन्य 2	अधारताल	कुदवारी	119/6	0.069
113.	श्रीमती काम्ता यादव पति किशन लाल	अधारताल	कुदवारी	119/7	0.037
114.	फूला बाई बवा मोहन गिरी	अधारताल	कुदवारी	148	0.490
115.	श्रीमहावीर जी भगवान एवं अन्य 4	अधारताल	कुदवारी	150	2.200
116.	तरथ पुरी वल्द जगजीवन पुरी	अधारताल	कुदवारी	152/1	0.055
117.	हल्लू पुरी पिता जगजीवन पुरी	अधारताल	कुदवारी	152/2	0.055
118.	अशोक कुमार पिता कंधी लाल	अधारताल	कुदवारी	153	1.140
119.	श्रीमहावीर जी भगवान एवं अन्य 4	अधारताल	कुदवारी	154	3.140
120.	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	50	0.280
121.	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	52/2	0.540
122.	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	64	0.140
123.	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	65	1.176
124.	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	66	0.200
125.	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	67	0.040
126.	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	68	0.090

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
127.	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	69	0.100
128.	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	70	0.140
129.	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	75/2	0.210
130.	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	77	1.970
131.	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	80	0.150
132.	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	81	0.020
133.	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	82	1.280
134.	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	86	3.060
135.	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	91	0.780
136.	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	94	0.770
137.	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	95	1.180
138..	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	96	0.770
139.	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	100	0.140
140.	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	101	0.030
141.	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	103	0.050
142.	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	104	1.310
143.	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	117	1.170
144.	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	149	0.420
145.	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	151	1.180
146..	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	155	1.600
147.	शासकीय	अधारताल	कुदवारी	164	0.190
148.	कदीर खान पिता स्व. श्री नसीर खान एवं अन्य 13	अधारताल	गुरदा	117	1.045
149.	विनय पिता प्रेमलाल	अधारताल	गुरदा	137	1.010
150.	सूर्यकांत गिरी पिता सुरेन्द्र गिरी	अधारताल	गुरदा	138/1	0.470
151.	सूर्यकांत गिरी पिता सुरेन्द्र गिरी	अधारताल	गुरदा	138/2	0.460
152.	मंधारी पिता परागी लाल	अधारताल	गुरदा	139/1	1.400
153.	बाबूलाल पिता प्यारे लाल	अधारताल	गुरदा	139/2	0.400
154.	दुर्गाप्रसा पिता प्यारे लाल, तेजवीर द्विवेदी, कामना द्विवेदी	अधारताल	गुरदा	139/3	0.330
155.	ज्ञानी प्रसाद पिता प्यारे लाल	अधारताल	गुरदा	139/4	0.330
156.	रामगोपाल पिता प्यारे लाल	अधारताल	गुरदा	139/5	0.330
157.	शोभना सिंह बेवा सुरेश सिंह, सोनल सिंह, स्वेता सिंह,	अधारताल	गुरदा	140	5.100
158.	अमरेश गिरी पिता मोहन गिरी	अधारताल	गुरदा	141	1.800
159.	लालमन पिता गया प्रसाद, भूपत लाल एवं अन्य 26	अधारताल	गुरदा	142/1	0.350

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
160.	कमल सोनकर पिता शिवनारायण सोनकर एवं अन्य 49	अधारताल	गुरदा	142/2	0.700
161.	अतुल दुबे पिता हरीशंकर	अधारताल	गुरदा	142/3	0.340
162.	गोमती बाई बेवा भगवानदास एवं अन्य 18	अधारताल	गुरदा	142/4	0.350
163.	दीपचंद सा पिता रामनाथ एवं अन्य 66	अधारताल	गुरदा	148	2.140
164.	सुरेन्द्र गिरी पिता मोहन गिरी	अधारताल	गुरदा	149	3.960
165.	श्रीमती भावना तिवारी पति आलोक तिवारी	अधारताल	गुरदा	152/1	0.620
166.	श्रीमती अंजली अवस्थी पति संतोष अवस्थी	अधारताल	गुरदा	152/2	0.620
167.	अखिलेश वल्द अशोक कुमार श्रीवास्तव, आरती	अधारताल	गुरदा	153	0.110
168.	अखिलेश वल्द अशोक कुमार श्रीवास्तव, आरती	अधारताल	गुरदा	154	0.110
169.	अखिलेश वल्द अशोक कुमार श्रीवास्तव, आरती	अधारताल	गुरदा	155	0.110
170.	अनिमेश पिता अशोक कुमार श्रीवास्तव, साधना, अंकित नावां	अधारताल	गुरदा	156	0.120
171.	अनिमेश पिता अशोक कुमार श्रीवास्तव, साधना, अंकित नावां	अधारताल	गुरदा	157	0.120
172..	गणेश प्रसाद विश्वकर्मा पिता स्व. बाबूराम विश्वकर्मा	अधारताल	गुरदा	158/1	1.120
173.	पूर्णमा विश्वकर्मा पति रामेश्वर प्रसाद विश्वकर्मा	अधारताल	गुरदा	158/2	0.810
174.	महेश कुमार, नरेश कुमार एवं अन्य 2	अधारताल	गुरदा	159	1.170
175.	अनिमेश पिता अशोक कुमार श्रीवास्तव, साधना, अंकित नावां	अधारताल	गुरदा	160	0.130
176.	अखिलेश वल्द अशोक कुमार श्रीवास्तव, आरती	अधारताल	गुरदा	161	0.120
177.	अनिमेश पिता अशोक कुमार श्रीवास्तव, साधना, अंकित नावां	अधारताल	गुरदा	162	0.100
178.	मदन किशोर पिता स्व. मनोहर लाल	अधारताल	गुरदा	163/1	0.200
179.	जयकुमार पिता स्व. शिवदीनचंदा पति जयकुमार जैन	अधारताल	गुरदा	163/2	0.200
180.	मंजू पिता ओंकार नाथ	अधारताल	गुरदा	164	0.040
181.	ओमकारनाथ पिता जगन्नाथ प्रसाद	अधारताल	गुरदा	165	0.040
182.	सुशीला बाई पति शंकर लाल	अधारताल	गुरदा	166	0.020
183.	अजय कुमार पिता शंकर लाल	अधारताल	गुरदा	167	0.020
184.	तपती पति लखनचंद	अधारताल	गुरदा	168	0.040
185.	महेश कुमार, नरेश कुमार, पिता कुंदेव प्रसाद एवं अन्य 2	अधारताल	गुरदा	169	0.600
186.	जयंत शुक्ला पिता शिवदत्त शुक्ला	अधारताल	गुरदा	170/1	0.139
187.	जयंत शुक्ला पिता शिवदत्त शुक्ला	अधारताल	गुरदा	170/2	0.233
188.	विष्णुदत्त शुक्ला पिता स्व. सुंदरलाल शुक्ला	अधारताल	गुरदा	170/3	0.186
189.	नागेन्द्र शर्मा पिता स्व. सी.एल. शर्मा	अधारताल	गुरदा	170/4	0.172
190.	सुरेश चंदामण वल्द मदनमोहन, रेखा	अधारताल	गुरदा	171/1	0.520
191.	अस्मिता चंदामण पति नागेश चंदामण	अधारताल	गुरदा	171/2	0.100
192.	भीखम लाल पिता पूरन लाल	अधारताल	गुरदा	171/3	0.100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
193.	अनूरामनीका शिव पति शेलेन्दका सिंह, एवं अन्य 1	अधारताल	गुरदा	171/4	0.190
194.	कुमुद काशीव पति शिवकुमार, किरण	अधारताल	गुरदा	171/5	0.100
195.	जनार्दन शिवाजी, रामकिशन पिता रम्मू गिरी, सुशीला बाई	अधारताल	गुरदा	172	3.820
196.	सुरेन्द्र गिरी पिता मोहन गिरी	अधारताल	गुरदा	173	0.130
197.	अनिल कुमार यादव पिता कंधी लाल यादव	अधारताल	गुरदा	174	0.930
198.	कृ. रोशनी, कृ. वर्षा, कृ. दीप्ती, पिता वंशीदास	अधारताल	गुरदा	175	0.650
199.	मो. शाहीद पिता अब्दुल अजीज एवं अन्य 9	अधारताल	गुरदा	176/1	0.560
200.	प्रियंका सिंह बनाफर पति दिनेश सिंह बनाफर एवं अन्य 2	अधारताल	गुरदा	176/2	0.420
201.	मो. शाहीद पिता अब्दुल अजीज एवं अन्य 6	अधारताल	गुरदा	176/3	0.560
202.	शासकीय	अधारताल	गुरदा	150	0.350
203.	शासकीय	अधारताल	गुरदा	151	0.780
				कुल	79.221

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, स्कीम में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार की भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किए बिना, नहीं करेगा.

(378-बी.)

[धारा 50 की उपधारा(1) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की सूचना]

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन एतद्वारा घोषित किया जाता है कि जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS-04/JBP/2020 अर्थात् ग्राम महाराजपुर, खैरी एवं हथना बनाने का आशय रखता है. स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार हैं :-

सरल क्रमांक	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक (अंशों सहित)	क्षेत्रफल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
1.	शोभा सलारिया पति अजय सलारिया	अधारताल	महाराजपुर	6/1	1.248
2.	दिलीप मेहता पिता स्व. धीरज लाल मेहता एवं अन्य 37	अधारताल	महाराजपुर	6/2	4.862
3.	श्रीमती कविता बाटला पति सलीम बाटला एवं अन्य 70	अधारताल	महाराजपुर	6/3	4.862
4.	श्रीमती शोभा पति अजय कुमार सलारिया	अधारताल	महाराजपुर	6/4	0.473
5.	गुरदीप सिंह सालूजा पिता स्व. अमरीश, राजेन्द्र कुमार	अधारताल	महाराजपुर	6/5	2.023
6.	अनिल भल्ला पिता डा. एम.एल. भल्ल, सीमा भल्ला	अधारताल	महाराजपुर	6/6	1.248
7.	रामशरण सिंह चौहान पिता सूर्यवीर सिंह चौहान	अधारताल	महाराजपुर	79	0.024
8.	दिलीप मेहता पिता स्व. /धीरज लाल मेहता एवं अन्य 2	अधारताल	महाराजपुर	8	0.308
9.	मोहम्मद जफर खान पिता स्व. मो. सरीफ	अधारताल	महाराजपुर	11/1	0.128
10.	हायफा कोटी पिता मो. जहीर	अधारताल	महाराजपुर	11/2	0.050

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
11.	दीपक पिता मदनलाल पटैल	अधारताल	महाराजपुर	11/3	0.271
12.	श्रीमती वंदना गौर पति राजीव गौर, मयंक गौर नम्रता गौर	अधारताल	महाराजपुर	11/4	1.202
13.	कु. हायका कोटी पिता मो. जहीर कोटी	अधारताल	महाराजपुर	11/5	0.051
14.	नजमुस साकिब पिता स्व. मिसबाहुल	अधारताल	महाराजपुर	11/6	0.128
15.	रेहाबुद दयाल पिता मिस बाहुल इस्लाम	अधारताल	महाराजपुर	11/7	0.128
16.	सेहाबुदयार पिता मिसबाहुल इस्लाम	अधारताल	महाराजपुर	11/8	0.128
17.	मो. लतीफ खान, कोटी पिता स्व. हमीद खान	अधारताल	महाराजपुर	11/9	0.128
18.	जहीर खान कोटी पिता स्व. हमीद खान	अधारताल	महाराजपुर	11/10	0.128
19.	श्रीमती रफीकुनिशा पति स्व. हमीद खान कोटी	अधारताल	महाराजपुर	11/11	0.130
20.	वंश पति पिता रामगरीब पटैल	अधारताल	महाराजपुर	11/12	0.134
21.	श्रीमती राजेश्वरी पति जयप्राकाश त्यागी एवं अन्य 8	अधारताल	महाराजपुर	12	0.745
22.	नारंगी बाई बेवा दयाचंद एवं अन्य 2	अधारताल	महाराजपुर	13/1	2.180
23.	मे. जे.एम. कंस्ट्रक्शन, सुधीर कुमार पिता जुणियामल	अधारताल	महाराजपुर	13/2	1.316
24.	रजिया बेगम पति मु. जहीर	अधारताल	महाराजपुर	14/1	0.149
25.	मो. जहीर खान कोटी पिता मरहूम हमीद खान	अधारताल	महाराजपुर	14/2	0.149
26.	मो. जहीर खान कोटी पिता मरहूम हमीद खान	अधारताल	महाराजपुर	14/3	0.149
27.	मो. जहीर खान कोटी पिता मरहूम हमीद खान	अधारताल	महाराजपुर	14/4	0.149
28.	मो. जहीर खान कोटी पिता मरहूम हमीद खान	अधारताल	महाराजपुर	14/5	0.149
29.	यकदान कोटी पिता जहीर खान	अधारताल	महाराजपुर	14/6	0.149
30.	गोविंद प्रसाद पिता अनंदी लाल	अधारताल	महाराजपुर	15/1	3.035
31.	नारायण प्रसाद तिवारी पिता अनंदी लाल तिवारी	अधारताल	महाराजपुर	15/2	0.400
32.	शिवकुमार, अनिल कुमार, राजेश पिता जागेश्वर प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	15/3	2.428
33.	रामदेव बाबा डेव्हलपर्स एंड बिल्डर्स लि. एवं अन्य 6	अधारताल	महाराजपुर	15/4	2.833
34.	रामप्रसाद वल्द अनंदी प्रसाद तिवारी	अधारताल	महाराजपुर	15/5	0.090
35.	शिवकुमार, अनिल कुमार, राजेश पिता जागेश्वर प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	15/7	0.405
36.	दिलीप मेहता पिता स्व. धीरज लाल मेहता	अधारताल	महाराजपुर	15/8	0.268
37.	रामदेव बाबा डेव्हलपर्स एंड बिल्डर्स लि. एवं अन्य 6	अधारताल	महाराजपुर	15/9	2.635
38.	मुकेश, राकेश, जीतश वल्द रामनाथबर्मन	अधारताल	महाराजपुर	18/1	0.483
39.	मुकेश, राकेश, जीतश वल्द रामनाथबर्मन	अधारताल	महाराजपुर	18/3	0.055
40.	अतुल दुबे पिता हरीशंकर दुबे	अधारताल	महाराजपुर	18/4	0.538
41.	अतुल दुबे पिता हरीशंकर दुबे	अधारताल	महाराजपुर	18/5	0.146
42.	अतुल दुबे पिता हरीशंकर दुबे	अधारताल	महाराजपुर	18/6	0.073
43.	महेन्द्र प्रसाद समदड़िया वल्द रामशखा समदड़िया	अधारताल	महाराजपुर	19/1	0.150

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
44.	राजूज्ञान, धनवंती बाई ऊर्फ बेनी एवं अन्य 5	अधारताल	महाराजपुर	20	1.117
45.	श्रीमती प्रतिभा पति भगवत खान पासोले एवं अन्य 5	अधारताल	महाराजपुर	21/1	0.288
46.	उत्तमा पति तारयाजी, ललित, रमेशचंद एवं अन्य 17	अधारताल	महाराजपुर	21/2	0.467
47.	भागवत वल्द लहानुजी खान एवं अन्य 10	अधारताल	महाराजपुर	21/3	0.355
48.	कु. अनूपा देसाई पिता किशोर कुमार देसाई	अधारताल	महाराजपुर	21/4	0.031
49.	नगर पालिका निगम	अधारताल	महाराजपुर	22	4.760
50.	मुकेश, सुरेश, दिनेश पिता नारायण प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	23/1	0.130
51.	चंद्रभूषण वल्द हरचरणलाल सराफ	अधारताल	महाराजपुर	23/2	0.129
52.	दिलीप मेहता पिता स्व. धीरज लाल मेहता एवं अन्य 2	अधारताल	महाराजपुर	24	0.316
53.	दयासिंह, शंकर सिंह वल्द काशीराम	अधारताल	महाराजपुर	25/1	1.215
54.	श्रीमती मीना मिश्रा पति रमन मिश्रा	अधारताल	महाराजपुर	25/3	0.405
55.	श्रीमती मीना मिश्रा पति रमन मिश्रा	अधारताल	महाराजपुर	25/4	0.405
56.	श्रीमती मीना मिश्रा पति रमन मिश्रा	अधारताल	महाराजपुर	25/5	0.380
57.	रामप्रसाद वल्द अनंदा लाल	अधारताल	महाराजपुर	25/6	0.405
58.	दशरथ सिंह पिता काशीराम	अधारताल	महाराजपुर	25/7	1.213
59.	रामनाथ पिता शारदा प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	26/1	0.040
60.	प्रहलाद पिता रामनाथ	अधारताल	महाराजपुर	26/2	1.416
61.	गुड्डू ऊर्फ हरीलाल वल्द रामनाथ	अधारताल	महाराजपुर	26/3	1.417
62.	गुड्डू ऊर्फ उमेश वल्द रामनाथ	अधारताल	महाराजपुर	26/4	1.417
63.	रामदास अनंतराम एवं अन्य 4	अधारताल	महाराजपुर	27/1	0.842
64.	उजयारी बाई बेवा पोलेराम	अधारताल	महाराजपुर	27/2	0.202
65.	अनंतकुमार वल्द पोलेराम	अधारताल	महाराजपुर	27/3	0.534
66.	रघुवर प्रसाद वल्द पोलेराम	अधारताल	महाराजपुर	27/4	0.558
67.	श्रवणकुमार वल्द बट्टी प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	29/2	0.127
68.	जवाहर तुलसा बाई एवं अन्य 12	अधारताल	महाराजपुर	30/1	0.151
69.	नगर पालिका निगम	अधारताल	महाराजपुर	30/2	0.237
70.	रामदास वल्द पोलेराम	अधारताल	महाराजपुर	31	0.552
71.	बृजेश कुमार एवं अन्य 3	अधारताल	महाराजपुर	32/1	0.176
72.	लालसिंह ठाकुर पिता बुद्ध सिंह ठाकुर	अधारताल	महाराजपुर	32/2	0.016
73.	संतोष कुमार वल्द रामप्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	32/3	0.016
74.	माया पति संतोष कुमार श्रीवास्तव	अधारताल	महाराजपुर	32/4	0.016
75.	अनिल कुमार वल्द नारायण कुमार श्रीवास्तव	अधारताल	महाराजपुर	32/5	0.016
76.	मुकेश कुमार वल्द मुक्ता प्रसाद श्रीवास्तव	अधारताल	महाराजपुर	32/6	0.016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
77.	यशवंत रावजी वल्द रघुराव जी	अधारताल	महाराजपुर	32/7	0.016
78.	शिवाजीराव वाघ पिता केशव राव बाघ	अधारताल	महाराजपुर	32/8	0.016
79.	मनोहर लाल पिता गुट्टी लाल श्रीवास्तव	अधारताल	महाराजपुर	32/9	0.016
80.	विधा पति उमाशंकर	अधारताल	महाराजपुर	32/10	0.016
81.	श्रीमती आशाराव पति स्व. यशवंतराव	अधारताल	महाराजपुर	32/11	0.016
82.	अनुराग वल्द अवधबिहारी एवं अन्य 12	अधारताल	महाराजपुर	34/1	0.071
83.	श्रीमती कुसुम विश्वकर्मा पति रामविलाश एवं अन्य 4	अधारताल	महाराजपुर	34/3	0.051
84.	दिनेश कुमार जैन पिता राजेन्द्र कुमार जैन	अधारताल	महाराजपुर	35	0.332
85.	रामदास अनंतराम एवं अन्य 4	अधारताल	महाराजपुर	36	0.709
86.	नगर पालिका निगम	अधारताल	महाराजपुर	37	1.967
87.	रामदास अनंतराम एवं अन्य 4	अधारताल	महाराजपुर	38/1	0.044
88.	शिवप्रसाद रैकवार, राजेश प्रसाद रैकवार पिता संपत लाल	अधारताल	महाराजपुर	38/2	0.219
89.	शशि जोजे, अंजनी कुमार पांडे	अधारताल	महाराजपुर	39/1	0.121
90.	शिवकी बाई, भोग बाई एवं अन्य 6	अधारताल	महाराजपुर	39/2	0.147
91.	राजेन्द्र पटेल पिता हरप्रसाद पटेल	अधारताल	महाराजपुर	59/1	1.654
92.	राजेन्द्र पटेल पिता हरप्रसाद पटेल	अधारताल	महाराजपुर	59/2	1.654
93.	मनोज कुमार पटेल पिता हरप्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	59/3/1	0.940
94.	राजेन्द्र पिता हरप्रसाद पटेल	अधारताल	महाराजपुर	59/3/2	0.713
95.	मे. सिधार्थ रियालटी राईट टाउन, दिलीप कटारिया	अधारताल	महाराजपुर	69	0.490
96.	शांति बाई बेवा संपत लाल रैकवार शिवप्रसाद एवं अन्य 2	अधारताल	महाराजपुर	70/1	0.415
97.	हरीश कुमार होतवानी पिता ए.के. होतवानी	अधारताल	महाराजपुर	70/2	0.200
98.	नगर पालिका निगम	अधारताल	महाराजपुर	72	0.486
99.	लक्ष्मन वल्द दयाराम	अधारताल	महाराजपुर	75/1	0.507
100.	शांति बाई जोजे संपत लाल	अधारताल	महाराजपुर	75/2	0.405
101.	श्रीमती मंजू मिश्रा पति वीरेन्द्र मिश्रा	अधारताल	महाराजपुर	75/3	0.800
102.	भैरों प्रसाद वल्द रामसहाय	अधारताल	महाराजपुर	77	1.072
103.	अनुराग वल्द अवधबिहारी एवं अन्य 12	अधारताल	महाराजपुर	78/1	0.826
104.	अनुराग वल्द अवधबिहारी एवं अन्य 12	अधारताल	महाराजपुर	79/1	0.237
105.	मुइनुद्दीन अंसारी पिता महमूद अहमद अंसारी	अधारताल	महाराजपुर	79/3	0.081
106.	शंकर लाल पिता पंचम लाल	अधारताल	महाराजपुर	80/1	0.040
107.	गोविंद प्रसाद पिता अनंदी लाल तिवारी एवं अन्य 2	अधारताल	महाराजपुर	80/2	0.405
108.	लाडली बाई पिता स्व. रघुनाथ प्रसाद एवं अन्य 3	अधारताल	महाराजपुर	82/1/1	0.656
109.	भैरों प्रसाद वल्द रामसहाय	अधारताल	महाराजपुर	82/1/2	0.655

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
110.	गजराज पंचम, झब्बू वल्द पूरन लाल	अधारताल	महाराजपुर	83/1	0.272
111.	नारायण प्रसाद पिता दयाराम	अधारताल	महाराजपुर	84/1	0.350
112.	अरूण कुमार पिता महेश प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	84/2	0.350
113.	राजेश कुमार पटेल पिता रेवती प्रसाद पटेल	अधारताल	महाराजपुर	85/1	1.165
114.	गंगा राम पटेल पिता शंकर लाल पटेल	अधारताल	महाराजपुर	85/2	0.405
115.	श्रीमती रमा पटेल पति गनपत पटेल	अधारताल	महाराजपुर	85/3	0.405
116.	रामराज पिता शंकर लाल	अधारताल	महाराजपुर	86	0.405
117.	रामकुमार पटेल पिता शंकर लाल	अधारताल	महाराजपुर	87/1	0.531
118.	रामराज पिता शंकर लाल	अधारताल	महाराजपुर	87/2	0.117
119.	उमेश कुमार पटेल पिता गनपत कुमार पटेल	अधारताल	महाराजपुर	87/3	0.117
120.	गंगा राम पटेल पिता शंकर लाल पटेल	अधारताल	महाराजपुर	87/4	0.117
121.	मथुरा प्रसाद पिता संतलाल	अधारताल	महाराजपुर	89/2	0.149
122.	तेजीलाल वल्द प्यारे लाल	अधारताल	महाराजपुर	90/2	0.202
123.	प्रेमलाल पिता प्यारेलाल चौधरी	अधारताल	महाराजपुर	90/3	0.202
124.	रीनाराय पति अमित राय	अधारताल	महाराजपुर	90/4	0.304
125.	आशारानी बेवा रतनचंद शरद अनिल पवन वल्द रतनचंद	अधारताल	महाराजपुर	92	4.820
126.	कंछेदी लाल पिता पलटूराम	अधारताल	महाराजपुर	93/1	0.813
127.	श्रीमती सरोज बाई पति स्व. ओंकार प्रसाद एवं अन्य 2	अधारताल	महाराजपुर	93/3	0.729
128.	वीरेन्द्र सिंह वल्द दमडी लाल	अधारताल	महाराजपुर	93/5	0.733
129.	सोनीलाल वल्द वंशीलाल	अधारताल	महाराजपुर	93/6	0.809
130.	ब्रजेश कुमार महेश कुमार एवं अन्य 2	अधारताल	महाराजपुर	94	0.154
131.	लाडली बाई पिता स्व. रघुनाथ प्रसाद एवं अन्य 6	अधारताल	महाराजपुर	95/1	0.154
132.	ब्रजेश कुमार महेश कुमार नरेश कुमार एवं अन्य 2	अधारताल	महाराजपुर	96	0.158
133.	रज्जू सिंह वल्द दत्तू सिंह	अधारताल	महाराजपुर	97	0.243
134.	भैरों प्रसाद वल्द रामसहाय	अधारताल	महाराजपुर	99/1	2.162
135.	श्रीमती इंद्रा जेसवानी पति बलराम जेसवानी	अधारताल	महाराजपुर	99/2	1.200
136.	गनपत कुमार रामकुमार गंगा राम पिता शंकर लाल, उमेश	अधारताल	महाराजपुर	100/1	1.416
137.	डेलन सिंह पिता दयाराम	अधारताल	महाराजपुर	101/1	2.155
138.	तुलसी राम दत्तक पुत्र वल्द इंद्रधीर मिश्रा	अधारताल	महाराजपुर	101/2	0.035
139.	टंटो बाई जोजे रेवती प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	101/3	1.744
140.	तुलसी राम वल्द इंद्रधीर मिश्रा	अधारताल	महाराजपुर	101/4	1.435
141.	बलराम जेसवानी वल्द गुरुबक्श राय	अधारताल	महाराजपुर	101/5	0.960
142.	अनुराग वल्द अवधबिहारी, एवं अन्य 12	अधारताल	महाराजपुर	102/1	0.162

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
143.	जागेश्वर प्रसाद पिता स्व. गया प्रसाद सैन एवं अन्य 2	अधारताल	महाराजपुर	103/1	0.202
144.	जागेश्वर प्रसाद पिता गया स्व. प्रसाद सैन, एवं अन्य 2	अधारताल	महाराजपुर	103/2	0.203
145.	ज्ञानचंद जैन पिता स्व. जीवनलाल जैन	अधारताल	महाराजपुर	104/1	1.416
146.	ज्ञानचंद जैन पिता स्व. जीवनलाल जैन	अधारताल	महाराजपुर	104/2	0.809
147.	हिमिया बाई पति हरचरण सेवा राम एवं अन्य 3	अधारताल	महाराजपुर	105/1	0.485
148.	विनोद लटोरीलाल पिता आनंदीलाल चौधरी	अधारताल	महाराजपुर	105/2	0.300
149.	प्रेमलाल पिता प्यारेलाल चौधरी	अधारताल	महाराजपुर	105/3	0.486
150.	मो. शहजाद नूर एवं अन्य 32	अधारताल	महाराजपुर	106/2	0.700
151.	सुरेन्द्र पिता मोतीलाल झारिया	अधारताल	महाराजपुर	106/4/1	0.202
152.	वीरेन्द्र पिता मोतीलाल झारिया	अधारताल	महाराजपुर	106/4/2	0.202
153.	शैलेन्द्र सत्येन्द्र कविता पिता राजेन्द्र झारिया	अधारताल	महाराजपुर	106/4/3	0.203
154.	उमा पिता मोतीलाल झारिया	अधारताल	महाराजपुर	106/4/4	0.202
155.	अभिषेक बाजपेयी पिता रमेश कुमार बाजपेयी, स्मृति	अधारताल	महाराजपुर	107/1	0.284
156.	आलोक तिवारी पिता स्व. पं. ओंकार प्रसाद तिवारी	अधारताल	महाराजपुर	107/2	0.320
157.	गुलफाम अंसारी पिता स्व. अबदुल रहीम अंसारी, अनिशा बानो	अधारताल	महाराजपुर	107/3	0.284
158.	आशा दुबे पिता स्व. श्री नरेन्द्र दुबे विशाल दुबे	अधारताल	महाराजपुर	107/4	0.285
159.	भागचंद पिता हीरालाल साहू	अधारताल	महाराजपुर	108	2.063
160.	समुंद्री बाई पटेल पति स्व. रामनाथ एवं अन्य 14	अधारताल	महाराजपुर	109/1	0.194
161.	रजनी महौर पति श्री रोहित महौर एवं अन्य 55	अधारताल	महाराजपुर	109/2	1.308
162.	राकेश कुमार त्रिपाठी पिता मथुरा प्रसाद त्रिपाठी	अधारताल	महाराजपुर	109/3	0.010
163.	प्रीती पाठक पति अविनाश पाठक	अधारताल	महाराजपुर	109/4	0.010
164.	राजेश श्रीवास्तव वल्द एम.पी. श्रीवास्तव	अधारताल	महाराजपुर	109/5	0.010
165.	भीमसेन पटेल पिता बेनी प्रसाद पटेल	अधारताल	महाराजपुर	109/6	0.010
166.	बलराम तिवारी पिता लक्ष्मण प्रसाद तिवारी	अधारताल	महाराजपुर	109/7	0.010
167.	उर्मिला करोसिया पति स्व. लक्ष्मीनारायण करोसिया, अखिलेश	अधारताल	महाराजपुर	109/8	0.010
168.	रवीन्द्र चतुर्वेदी पिता सुरेश कुमार चतुर्वेदी	अधारताल	महाराजपुर	109/9	0.010
169.	रानू पटेल पति रमाकांत पटेल	अधारताल	महाराजपुर	109/10	0.020
170.	नीरज बादल पिता शिवकुमार बादल	अधारताल	महाराजपुर	109/11	0.020
171.	रामगोपाल पटेल पिता कुंवर लाल पटेल	अधारताल	महाराजपुर	109/12	0.030
172.	कविता पटेल पति दीपक पटेल	अधारताल	महाराजपुर	109/13	0.020
173.	अनुज अहवासी पिता शांतिलाल	अधारताल	महाराजपुर	109/14	0.010
174.	जितेन्द्र कुमार वल्द सुरेश पंडित	अधारताल	महाराजपुर	109/15	0.010
175.	ओमप्रकाश यादव पिता लल्लू यादव	अधारताल	महाराजपुर	109/16	0.010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
176.	अनिल पाराशर पिता छिमाधर पाराशर	अधारताल	महाराजपुर	109/17	0.010
177.	सुनील राय पिता जमुना प्रसाद राय	अधारताल	महाराजपुर	109/18	0.010
178.	राजेश कुमार राठौर पिता स्व. ए.एल. राठौर, किरण राठौर	अधारताल	महाराजपुर	109/19	0.010
179.	सत्यप्रकाश केशरवानी पिता नर्मदा प्रसाद केशरवानी	अधारताल	महाराजपुर	109/20	0.010
180.	संतलाल दुर्गाप्रसाद मुन्नालाल भगवानदास वल्द रिखिराम	अधारताल	महाराजपुर	114/1	0.300
181.	नगर पालिका निगम	अधारताल	महाराजपुर	115	3.237
182.	बलजीत सिंह पिता दमडी लाल	अधारताल	महाराजपुर	190/2	0.036
183.	हीराबाई बेवा किशन सिंह, अशीष अभिजीत नीतू पूनम	अधारताल	महाराजपुर	190/3	0.024
184.	भारतलाल, विमलेश, चुम्टी बाई पिता स्व. बाबूलाल कोल	अधारताल	महाराजपुर	190/4, 190/5	0.121
185.	राजेश वल्द गोविंद प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	191/1	1.123
186.	राजेश प्रसाद वल्द गोविंद प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	191/2	1.588
187.	प्रियंका तिवारी पति रिकू तिवारी एवं अन्य 16	अधारताल	महाराजपुर	200/1	0.150
188.	प्रियंका तिवारी पति रिकू तिवारी एवं अन्य 22	अधारताल	महाराजपुर	200/2	0.340
189.	रामसेवक पिता स्व. शिवदास एवं अन्य 70	अधारताल	महाराजपुर	207	0.798
190.	ब्रजेश कुमार महेश कुमार नरेश कुमार रोहणी सोहनी	अधारताल	महाराजपुर	218/1	0.053
191.	राधेश्याम वल्द बद्री प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	218/2	0.052
192.	गोदावरी बाई बेवा शंकर दत्त	अधारताल	महाराजपुर	219	0.109
193.	ब्रजेश कुमार महेश कुमार नरेश कुमार रोहणी सोहनी	अधारताल	महाराजपुर	220	0.081
194.	अजय सिंह अमोद सिंह एवं अन्य 4	अधारताल	महाराजपुर	251	0.089
195.	भूरी बाई बेवा शंकर लाल रामकुमार सियाबाई वल्द शंकर लाल	अधारताल	महाराजपुर	252/1	0.101
196.	गौराबाई बेवा एवं अन्य 6	अधारताल	महाराजपुर	252/2	0.353
197.	बिटटन बाई पति रामशंकर एवं अन्य 4	अधारताल	महाराजपुर	253/1	0.072
198.	राजेश पिल्ले वल्द आर.एन.पिल्ले	अधारताल	महाराजपुर	253/3	0.291
199.	भगवान शर्मा वल्द रामधारी सिंह	अधारताल	महाराजपुर	253/4	0.018
200.	नगर पालिका निगम	अधारताल	महाराजपुर	253/6	0.255
201.	श्रीमती राजकुमारी विश्वकर्मा पति कृष्ण कुमार, लक्ष्मीकांत गुप्ता	अधारताल	महाराजपुर	253/7	0.029
202.	वीरेन्द्र कुमार यादव पिता वृंदावन यादव	अधारताल	महाराजपुर	253/8	0.011
203.	श्रीमती राजकुमारी जयसवाल पति राजेन्द्र कुमार जयसवाल	अधारताल	महाराजपुर	253/9	0.007
204.	श्रीमती राजकुमारी जयसवाल पति राजेन्द्र कुमार जयसवाल	अधारताल	महाराजपुर	253/10	0.007
205.	श्रीमती राजकुमारी जयसवाल पति राजेन्द्र कुमार जयसवाल	अधारताल	महाराजपुर	253/11	0.007
206.	संजय सिंह पिता हरीसिंह लोधी	अधारताल	महाराजपुर	253/12	0.011
207.	श्रीमती सरिता सिंह पति अरूण प्रताप सिंह	अधारताल	महाराजपुर	253/13	0.015
208.	श्रीमती तेवरी देवी पति महेन्द्र शर्मा	अधारताल	महाराजपुर	253/14	0.016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
209.	अवनेश प्रसाद पिता बाबूलाल	अधारताल	महाराजपुर	253/15	0.011
210.	भूरीबाई बेबा शंकरलाल एवं 72 अन्य	अधारताल	महाराजपुर	254	6.320
211.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	7	1.481
212.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	9	0.486
213.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	10	0.109
214.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	15/6	0.864
215.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	16	0.607
216.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	17	1.080
217.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	18/2	0.466
218.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	19/2	0.973
219.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	25/2	2.023
220.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	28/1	0.313
221.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	28/2	0.101
222.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	28/3	0.101
223.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	28/4	0.101
224.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	28/5	0.023
225.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	29/1	0.142
226.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	33	0.336
227.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	34/2	0.121
228.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	39/3	1.388
229.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	39/4	1.565
230.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	60	0.142
231.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	68	0.065
232.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	71	0.024
233.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	73	0.040
234.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	74	0.571
235.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	76	0.809
236.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	78/2	0.836
237.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	79/2	0.318
238.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	81	0.470
239.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	82/2	0.263
240.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	83/2	0.190
241.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	88	0.429

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
242.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	89/1	0.909
243.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	89/3	0.759
244.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	91	0.308
245.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	93/2	0.739
246.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	93/4	0.809
247.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	95/2	0.184
248.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	98/1	0.468
249.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	98/2	0.469
250.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	100/2	0.328
251.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	102/2	0.162
252.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	105/4	0.186
253.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	106/1	1.012
254.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	106/3	0.405
255.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	106/5	0.202
256.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	106/6	0.307
257.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	114/2	1.226
258.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	217	0.142
259.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	221	0.947
260.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	253/2	1.744
261.	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	262 मे से	0.200
262.	श्रीमती शशि पति अंजनी पांडे	अधारताल	खैरी	163/1	0.920
263.	बचई लाल पिता खुडमुड पाल	अधारताल	खैरी	164/1	0.320
264.	प्रकाश पिता जयराम एवं अन्य 22	अधारताल	खैरी	165/1	0.150
265.	मो. जुबेर आलम वल्द अब्दुल हाबिद एवं अन्य 4	अधारताल	खैरी	165/3	0.040
266.	राकेश कुमार पटैल पिता रामकरण पटैल	अधारताल	खैरी	165/4	0.010
267.	श्रीमती शशि पति अंजनी पांडे	अधारताल	खैरी	165/5	0.730
268.	विष्णु प्रसाद चौधरी पिता रतीराम चौधरी	अधारताल	खैरी	165/6	0.010
269.	श्रीमती मीना ऊर्फ मीनाक्षी पति लख्मीचंद्र बदलानी	अधारताल	खैरी	165/7	0.010
270.	अभिषेक पटेल विजय कुमार पटेल	अधारताल	खैरी	165/8	0.010
271.	श्यामलता अग्रवाल पति अनिल अग्रवाल	अधारताल	खैरी	165/9	0.020
272.	नीलेश अग्रवाल पिता विजय अग्रवाल	अधारताल	खैरी	165/10	0.010
273.	विमला देवी पति वीरेन्द्र सिंह	अधारताल	खैरी	165/11	0.010
274.	दिनेश कुमार उपाध्याय पिता शिवकुमार उपाध्याय	अधारताल	खैरी	165/12	0.010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
275.	चमन बाघरी पिता शांति लाल बाघरी	अधारताल	खैरी	165/13	0.010
276.	श्रीमती टीना बाघरी पति चमन बाघरी	अधारताल	खैरी	165/14	0.010
277.	अनिल नावलेकर पिता एस.के. नावलेकर, श्यामलता अग्रवाल	अधारताल	खैरी	167/1	0.020
278.	आत्मेश गर्ग पिता गोपाल दत्त गर्ग	अधारताल	खैरी	167/3	0.120
279.	विवेक तिवारी पिता तहसीलदार तिवारी	अधारताल	खैरी	167/4	0.020
280.	गोटीराम वल्द टीकाराम मेहरा	अधारताल	खैरी	169	0.370
281.	रामबाई बेवा बेनी प्रसाद	अधारताल	खैरी	170/1	0.150
282.	शासकीय	अधारताल	खैरी	167/2	0.660
283.	शासकीय	अधारताल	खैरी	170/2	0.090
284.	प्रमोद कुमार वल्द कुंजीलाल तिवारी	पनागर	हथना	235/1	0.650
285.	ज्ञानचंद जैन पिता जीनवनलाल जैन	पनागर	हथना	235/2	0.600
286.	संध्या किरण जोजे भागचंद	पनागर	हथना	235/3	0.300
287.	प्रमोद कुमार वल्द कुंजीलाल तिवारी	पनागर	हथना	235/4	0.350
288.	अर्चना तिवारी पति स्व. शरद तिवारी, वैभव तिवारी	पनागर	हथना	235/5	0.090
289.	प्रमिला पति प्रमोद कुमार	पनागर	हथना	236/1	0.440
290.	मायाबाई पति ज्ञानचंद जैन, भागचंद जैन	पनागर	हथना	236/2	0.850
291.	संध्या किरण जोजे भागचंद	पनागर	हथना	236/3	0.300
292.	प्रदीप कुमार पिता कुंजबिहारी तिवारी	पनागर	हथना	236/4	0.200
293.	प्रमोद कुमार वल्द कुंजीलाल तिवारी	पनागर	हथना	236/5	0.200
294.	बचई लाल वल्द खुडगूपाल	पनागर	हथना	237/1	1.060
295.	कृष्णा जोजे राधेश्याम जोजे	पनागर	हथना	237/2	0.150
296.	सुरेन्द्र पिता बाबूलाल शर्मा	पनागर	हथना	237/3	0.100
297.	अनारो देवी बेवा ओंकार प्रसाद एवं अन्य 4	पनागर	हथना	237/4	0.110
298.	कृपा शंकर वल्द जे.एस. शर्मा एवं अन्य 2	पनागर	हथना	237/5	0.190
299.	रघुवरपाल पिता बचई लाल	पनागर	हथना	237/6	0.080
300.	भगवानदास वल्द बाबूलाल पांडे	पनागर	हथना	237/17	0.030
301.	रघुवर वल्द बचई पाल	पनागर	हथना	238/1	1.370
302.	रामराज वल्द गडरिया वल्द रामनाथपाल	पनागर	हथना	238/2	0.030
303.	हरीलाल वल्द भाईलाल कुशवाहा	पनागर	हथना	238/3	0.020
304.	श्रीमती अनारो देवी पति स्व. श्री ओंकार प्रसाद एवं अन्य 5	पनागर	हथना	238/4, 238/1	0.160
				कुल	161.569

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, स्कीम में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार की भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किए बिना, नहीं करेगा.

राजेन्द्र राय,
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

सूचित हो कि मेरा वास्तविक व सही नाम विजय बिजंवा है जो कि मेरी समस्त आईडी व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। किन्तु मुझे शैक्षणिक अध्ययन हेतु प्रवेश दिलाते समय मेरे उपनाम बिजंवा के स्थान पर मेरा गौत्र कुसुमाकर दर्ज हो जाने से मेरा नाम विजय कुसुमाकर दर्ज है। अतः मुझे मेरे सही नाम विजय बिजंवा के नाम से भविष्य में जाना, पहिचाना व सम्बोधित किया जावे। उक्त दोनों नाम मेरे ही होकर एक ही व्यक्ति के नाम है।

पुराना नाम :

(विजय कुसुमाकर)

(349-बी.)

नया नाम :

(विजय बिजंवा)

पता-63, भागीरथपुरा चौकी वाली गली,
इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-सूचित हो कि मेरा नाम मोना साहू पुत्री श्री सुरेश कुमार साहू है, यह नाम मेरे जन्म होने पर नामकरण उपरांत से प्रचलित है तथा मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ मैंने अपना नाम अलिशा एस परिवर्तित कर लिया है, अब मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी।

पुराना नाम :

(मोना साहू)

पुत्री-श्री सुरेश कुमार साहू

निवासी-मकान नं. 103, शिवनगर, गली नं. 2

हिनौतिया, हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

(350-बी.)

नया नाम :

(अलिशा एस)

पुत्री श्री सुरेश

उप-नाम परिवर्तन

मैं, शालिग्राम बिरहा स्वामी कालीनंद, उम्र 55 वर्ष, पिता श्री कोदूलाल बिरहा, निवासी सैनिक सोसायटी शक्ति नगर, मेनरोड, कालीचंद आश्रम शक्तिनगर, तह. व जिला जबलपुर शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे आधार कार्ड व पेन कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश स्वामी कालीनंद महाराज लिखा हुआ है। जो कि गलत है जबकि मेरा सही नाम शालिग्राम बिरहा स्वामी कालीनंद है जो के दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं। अतः आज दिनांक से मुझे मेरे सही नाम शालिग्राम बिरहा स्वामी कालीनंद से ही जाना-पहचाना एवं पढ़ा-लिखा जाये।

पुराना नाम :

(स्वामी कालीनंद महाराज)

(366-बी.)

नया नाम :

(शालिग्राम बिरहा स्वामी कालीनंद)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम सतीश कुमार गर्ग पिता बाबूलाल गर्ग था। जो कि अब मैंने अपना नाम परिवर्तित कर सतीश गर्ग पिता बाबूलाल गर्ग कर लिया है। अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(सतीश कुमार गर्ग)

पिता-बाबूलाल गर्ग

(367-बी.)

नया नाम :

(सतीश गर्ग)

पिता-बाबूलाल गर्ग,

सी-502, गेल आवासीय परिसर,

नगझिरी, उज्जैन (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, संदीप मेहता पिता राजेन्द्र मेहता सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा सही वास्तविक व प्रचलित नाम संदीप मेहता ही है, मेरे कुछ शैक्षणिक दस्तावेजों में संदीप कुमार अंकित है, लेकिन मुझे भविष्य में संदीप मेहता के नाम से ही जाना व पहचाना जाए।

पुराना नाम :

(संदीप कुमार)

(368-बी.)

नया नाम :

(संदीप मेहता)

नाम परिवर्तन

यह कि मेरा नाम रविंद्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ताराचंद्र अग्रवाल, निवासी सिटी लिंक ट्रेवल के पास, हुजरात पुल, लशकर, ग्वालियर है। यह की रवि कुमार अग्रवाल मेरा घरेलू नाम है। जो कि मेरी जीवन बीमा पॉलिसी 202375257 और अन्य कुछ दस्तावेजों में लिख गया है। अतः जीवन बीमा पॉलिसी और अन्य दस्तावेजों में नाम सुधार हेतु सूचना प्रकाशित है।

पुराना नाम :

(रवि कुमार अग्रवाल)

(369-बी.)

नया नाम :

(रविंद्र कुमार अग्रवाल)

पुत्र-श्री ताराचंद्र अग्रवाल,
निवासी-सिटी लिंक ट्रेवल के पास,

हुजरात पुल, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

यह कि मेरे पक्षकार कंवरलाल पिता लक्ष्मण, उम्र-43 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 07, ग्राम भूतेड़ा, तहसील जावरा, जिला रतलाम मध्यप्रदेश द्वारा प्राप्त प्रतिबोधन एवं निर्देशानुसार सर्व-साधारण को यह सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार के पुत्र अरविन्द की अंकसूची में पिता का नाम कमलेश अंकित है। जिसे सुधार करवाना है। क्योंकि मेरे पक्षकार को पूर्व में कमलेश एवं वर्तमान में कंवरलाल पिता लक्ष्मण के नाम से जाना, पहचाना जाता है। दोनों ही नाम मेरे पक्षकार के नाम होकर एक ही व्यक्ति है। मेरे पक्षकार के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरे पक्षकार का नाम कंवरलाल पिता लक्ष्मण अंकित है। जिस कारण से यह सूचना प्रकाशित करना आवश्यक हुआ है एवं भविष्य में मेरे पक्षकार को कंवरलाल पिता लक्ष्मण के नाम से पहचाना जावे। सो सूचित हो।

सुधांशुराय सक्सेना,

अधिवक्ता,

कार्यालय 6, कालिका माता मार्केट कोर्ट के सामने,
रतलाम (म.प्र.).

(370-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स-जे. के. एस. इन्फॉवर्ड्स, पता-एल.आई.जी.-30, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बोदा बाग, रीवा (म.प्र.) फर्म पंजीयन क्रमांक 05/22/03/0068/15, दिनांक 16-10-2015 है। यह कि फर्म की रचना में परिवर्तन करते हुये दिनांक 05-09-2020 से फर्म के स्थान में परिवर्तन करते हुए फर्म का नवीन स्थान-माकन नं. 101, बद्रिका टावर अंगूरी बिल्डिंग के पीछे सुभाष चौक के पास हुजूर, रीवा (म.प्र.) हो गया है। जो कि आज दिनांक से जाना एवं पहचाना जायेगा एवं फर्म के नये पार्टनर के रूप में श्री वरुण कुमार शुक्ला पिता श्री रामनाथ शुक्ला, पता-एल.आई.जी.-30, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बोदा बाग, जिला रीवा (म.प्र.) दिनांक 05-09-2020 से फर्म में शामिल हो गये हैं। अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के संबंध में आपत्ति हो तो वह प्रकाशन दिनांक के सात दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करे।

मेसर्स जे. के. एस. इन्फॉवर्ड्स,

रामनाथ शुक्ला,

(पार्टनर).

(359-बी.)

पता-बोदा बाग, जिला रीवा (म.प्र.).

आम सूचना

फर्म रामदयाल रामचरण पुरोहित जो बेनीगंज, छतरपुर मध्यप्रदेश में स्थित है। दिनांक 30-03-1999 को निष्पादित की गई थी। जिसमें श्री रामचरण पुरोहित, श्रीमती गायत्री देवी पुरोहित, श्रीमती पुष्पा पुरोहित, राकेश पुरोहित भागीदार थे। दिनांक 01-04-2019 को अमोल पुरोहित नये भागीदार शामिल हुये हैं व तीन भागीदार श्री रामचरण पुरोहित, श्रीमती गायत्री देवी पुरोहित, श्रीमती पुष्पा पुरोहित फर्म से बाहर हो गये फर्म निरंतर कार्यशील व प्रभावशील है।

मे. रामदयाल रामचरण पुरोहित,

राकेश पुरोहित,

अमोल पुरोहित,

(भागीदार)

(360-बी.)

बस ओनर, छतरपुर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स आनंद सिंह बघेल भारद्वाज लॉज जी. एन. रोड, सिवनी, पंजीयन क्रमांक-04/18/01/00331/10, दिनांक 28-02-2011 को पंजीकृत है। फर्म के साझेदार 1. संजय भारद्वाज, 2. प्रदीप राय, 3. संजय अग्रवाल, 4. गोविन्द कश्यप, 5. रविन्द्र नारायण सिंह भारद्वाज, 6. प्रवीण भारद्वाज, 7. रमेश सिंह चौहान, दिनांक 10-06-2020 को स्वेच्छापूर्वक उक्त फर्म से पृथक् हो गये हैं।

इस फर्म में दिनांक 10-06-2020 को 1. श्री गिरजाशंकर मिश्रा, 2. महेश दुबे नये भागीदार के रूप में फर्म में शामिल हो रहे हैं। उक्त फर्म का संशोधित पता-मैसर्स आनंद सिंह बघेल जटार हॉस्पिटल के सामने बारापत्थर सिवनी है।

मैसर्स आनंद सिंह बघेल,
आनंद सिंह बघेल,
(पार्टनर).

(361-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स जगन्नाथ कन्सट्रक्शन कम्पनी, सी.-34, भगत सिंह नगर, भिण्ड रोड, ग्वालियर (म.प्र.) ने 26-08-2020 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर फर्म का पता परिवर्तित कर नया पता-बी-47, 48, रामदयाल नगर, पिन्टो पार्क के पास, भिण्ड रोड, ग्वालियर (म.प्र.) कर दिया है। साथ ही फर्म में संशोधन कर श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, निवासी ग्राम मेघपुर, पोस्ट सोनी, तहसील मेहगाँव, जिला भिण्ड (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं। भविष्य में फर्म से संबन्धित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेनादेना नहीं रहेगा एवं अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर नवीन साझेदार के रूप में श्री विश्वेश शर्मा पुत्र श्री अजय शर्मा, निवासी ए-27, रामदयाल नगर, भिण्ड रोड, ग्वालियर मध्यप्रदेश को सम्मिलित किया गया है। भविष्य में फर्म से संबन्धित सभी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य सभी साझेदारों को स्वीकार है।

मैसर्स जगन्नाथ कन्सट्रक्शन कम्पनी,
अजय शर्मा,
(पार्टनर).

(362-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म माँ कालका इण्डस्ट्रिज, 251/1, सूरी नगर, एस. एल. पी. कॉलेज के पास, मुरार, ग्वालियर मध्यप्रदेश 474006.

साझेदार:- फर्म में 4 साझेदार हैं।

1. श्रीमती कविता मिश्रा पत्नी श्री राजेश मिश्रा, निवासी 301 जी, तीलक वार्ड, तहसील एवं जिला सिओनी (म.प्र.).
2. श्रीमती भावना शर्मा पत्नी श्री अरूण शर्मा, निवासी 251/1, सूरी नगर, एस. एल. पी. कॉलेज के पास मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).
3. श्रीमती राधा तोमर पत्नी श्री जितेन्द्र तोमर, निवासी सी-59, सूरी नगर, एस. एल. पी. कॉलेज के पास मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).
4. श्रीमती रमा तोमर पत्नी श्री विनोद सिंह तोमर, निवासी 120/23, शिवाजी नगर, आमखो, कम्पू, ग्वालियर (म.प्र.).

यहकि साझेदारों कि आपसी सहमति से दिनांक 12 जून, 2020 को साझेदारी में संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार तीन साझेदार श्रीमती भावना शर्मा पत्नी श्री अरूण शर्मा, निवासी 251/1, सूरी नगर, एस. एल. पी. कॉलेज के पास मुरार, ग्वालियर (म.प्र.), श्रीमती राधा तोमर पत्नी श्री जितेन्द्र तोमर, निवासी सी-59, सूरी नगर, एस. एल. पी. कॉलेज के पास मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) एवं श्रीमती रमा तोमर पत्नी श्री विनोद सिंह तोमर, निवासी 120/23, शिवाजी नगर, आमखो, कम्पू, ग्वालियर (म.प्र.) साझेदारी से हट गयी है तथा एक नया साझेदार और जोड़ा गया है। जिनका नाम श्री राजेश मिश्रा पुत्र श्री मन मोहन मिश्रा, निवासी महावीर मधिया के सामने, आजाद वार्ड, सिओनी (म.प्र.) है।

आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

M/s Maa Kalka Industries,
कविता मिश्रा,
पत्नी-श्री राजेश मिश्रा,
(पार्टनर).

(373-बी.)

आम सूचना

सर्वज्ञ होकर हमारी पक्षकारा फर्म मे. शिवहरे लिक्वर्स, 130, ब्रह्मा बाग कॉलोनी, इन्दौर रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म होकर उक्त फर्म में श्री विनोद शिवहरे एवं श्री भैयालय शिवहरे पूर्व में भागीदार उक्त फर्म में दिनांक 07-10-2020 से 23 नए व्यक्तियों को भागीदारी की हैसियत से शामिल किया गया है, जिनके नाम निम्नलिखित हैं.

1. श्री अजय शिवहरे, 2. श्री विवेक शिवहरे, 3. श्री राकेश राय, 4. श्री रामस्वरूप शिवहरे, 5. मेसर्स मालवा रियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड, 6. श्री राजीव गुप्ता, 7. श्रीमती कमला शिवहरे, 8. श्री विनीत शिवहरे, 9. श्रीमती नीलम शिवहरे, 10. श्री गोपाल शिवहरे, 11. श्री दिनेश सेन, 12. मेसर्स वंशिका कंस्ट्रक्शन, 13. श्री अर्पित शिवहरे, 14. श्री संजय शिवहरे, 15. श्री अभय शिवहरे, 16. श्री मनोज आसुदानी, 17. श्री घनश्याम दास वासवानी, 18. श्री कुलदीप सिंह, 19. श्री हरेन्द्र सिंह, 20. श्री कैलाश चन्द राठौर, 21. मेसर्स सहयोगी इंफ्रा केयर प्राइवेट लिमिटेड, 22. श्री प्रकाश सरोडे, 23. मेसर्स गारनित डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड.

इस प्रकार वर्तमान में मेसर्स शिवहरे लिक्वर्स, भागीदारी फर्म के 25 भागीदार हैं. जिनका संपूर्ण विवरण रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एण्ड सोसायटी के कार्यालय में भी दर्ज करा दिया गया है.

भैयालाल शिवहरे,

(पार्टनर)

902, ओरे विले, अपोलो डी. बी. सिटी,

इन्दौर (म.प्र.).

(371-बी.)

आम सूचना

फर्म में भागीरथ मोटर्स म. नं. 1076, छतरपुर जो दिनांक 05-04-2007 को निष्पादित की गई थी. जिसमें भागीदार श्री कमलेश कुमार चौरसिया, श्रीमती रश्मि चौरसिया थे. दिनांक 20-08-2020 को नये भागीदार भौमिक चौरसिया फर्म में शामिल हुये हैं. सर्व-साधारण को सूचित हो.

द्वारा-M/s Bhagirath Motors,

कमलेश कुमार चौरसिया,

(पार्टनर)

छतरपुर (म.प्र.).

(372-बी.)

आम सूचना

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत धारा-72 अंतर्गत सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि "मेसर्स नरेश पेट्रोलियम सेंटर" जिसका गठन दिनांक 10-11-2005 को म. नं. 7, गांधी वार्ड, अमरावती रोड, मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.) पंजीकृत कार्यालय पर हुआ था एवं उक्त फर्म का पंजीयन क्रमांक 01/06/03/00176/2005 है. यह कि भागीदारी अभिलेख दिनांक 27-12-2016 के अनुसार श्री राजेश चंद्र अग्रवाल जैसवाल पिता स्व. श्री कृष्ण किशोर जैसवाल के देहांत होने के कारण उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिमा जैसवाल जी को इस भागीदार फर्म में सम्मिलित किया गया है तथा फर्म का पता-नागपुर रोड, मुलताई, जिला-बैतूल (म.प्र.) किया गया है.

For-"M/s Naresh Petroleum Center",

Naresh Chandra Jaiswal,

(Partner)

Nagpur Road, Multai, Distt.-Betul (M.P.).

(374-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स निलय इन्जीनियर्स जो ए-7, कृष्णा नगर, गोले का मंदिर, ग्वालियर में स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 82 एवं दिनांक 28-01-2002 जिसमें दिनांक 01-04-2005 को जगेन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र स्व. श्री बी. एस. कुशवाह, निवासी ए-04, कृष्णा नगर रेसीडेंसी रोड, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं तथा दिनांक 14-10-2020 को भागीदार 1. श्री जगेन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र स्व. श्री बी. एस. कुशवाह, निवासी ए-04, कृष्णा नगर रेसीडेंसी रोड, ग्वालियर, 2. श्री राजेन्द्र सिंह दण्डोटिया, 3. श्री वीरेन्द्र सिंह दण्डोटिया पुत्रगण श्री नारायण सिंह दण्डोटिया, निवासीगण माधौगंज, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

मैसर्स निलय इन्जीनियर्स,

प्राणवीर सिंह कुशवाह,

(भागीदार)

ए-7, कृष्णा नगर, गोले का मंदिर,

ग्वालियर.

(315-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील कोलार, जिला-भोपाल

प्र.क्र.01/बी-113/2020-21.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि “आर्जव तीर्थ एवं जीव संरक्षण ट्रस्ट” द्वारा अध्यक्ष श्री राजेन्द्र जैन आत्मज श्री बाबूलाल जैन, निवासी 04 लार्डस कैपस लक्ष्मी परिसर ई-8, एक्सटेंशन बावडियाकलों, भोपाल ट्रस्ट का पता-04 लार्डस कैपस लक्ष्मी परिसर ई-8, एक्सटेंशन बावडियाकलों, भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 19 नवम्बर, 2020 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के “ एक माह ” के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता : “आर्जव तीर्थ एवं जीव संरक्षण ट्रस्ट” द्वारा अध्यक्ष श्री राजेन्द्र जैन आत्मज श्री बाबूलाल जैन, निवासी 04 लार्डस कैपस लक्ष्मी परिसर ई-8, एक्सटेंशन बावडियाकलों, भोपाल.
2. चल सम्पत्ति : निरंक.
3. अचल सम्पत्ति : निरंक.

आज दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

राजेश गुप्ता,
रजिस्ट्रार.

(1186)

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास अनुविभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर

नरसिंहपुर, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020

प्ररूप क्र.-4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा(2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक अनुविभाग-नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के समक्ष.

क्र./1932/प्र.अ.वि.अ./2020.—यह कि निरंजन गंगाधर पालमिकर, सचिव आनन्द शक्तिपीठ हथियाटोला, केरपानी, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है, कि कथित आवेदन पर दिनांक 09 नवम्बर, 2020 को अप. 03:00 बजे मेरे न्यायालय में विचार में लिखा जायेगा।

अतः मैं जी. सी. डहेरिया, अनुविभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 09 नवम्बर, 2020 को अप. 03:00 बजे उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा(1) के द्वारा यथा अपेक्षित जाँच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है, और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता : आनन्द शक्तिपीठ कैलाश टेकडी हथियाटोला, (केरपानी), तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर लोक न्यास

अचल सम्पत्ति : निरंक.

चल सम्पत्ति : नकद रु. 5000/- वस्तु रूप में रु. 3000/-

आज दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

जी. सी. डहेरिया,
रजिस्ट्रार.

(1185)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं लोक न्यास पंजीयक अधिकारी, जिला डिण्डौरी**प्रारूप-4**

[नियम-5 (1) देखें]

[मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2)(1951 का 30) और

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी के समक्ष श्री पारसनाथ राय (अध्यक्ष) पुत्र स्व. श्री मोहनलाल राय, निवासी वार्ड क्रमांक 5 डिण्डौरी, तहसील व जिला डिण्डौरी ने मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये श्री राधाकृष्ण मंदिर सार्वजनिक न्यास पंजीयन हेतु आवेदन लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये किया है, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन 2020 के दिनांक 21-11-2020 पर मेरे द्वारा न्यायालय में विचारण में लिया जाएगा.

अतः मैं, जिला डिण्डौरी के लोक न्यासों का रजिस्ट्रार अपने न्यायालय में दिनांक 21 नवम्बर, 2020 को उक्त अधिनियम, की धारा(1) के द्वारा आपेक्षित जांच करने की प्रस्थापना करता हूँ.

किसी आपत्ति (या सुझाव) को करने का आशय रखते हुये उक्त न्यास या संपत्ति के मामले में हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिगत अथवा वकील द्वारा या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

1. डिण्डौरी नगर में नजूल शीट नंबर 7 ए, प्लॉट नंबर 19, एरिया 2944 वर्गफुट है, जिसके एरिया 1800 वर्गफुट पर एक तीन मंजिला व्यवसायिक भवन निर्मित है, जो कि किराये पर संचालित है.
2. डिण्डौरी नगर के नजूल शीट नंबर 7-सी, प्लॉट नंबर 3, एरिया 872 वर्गफुट है, जिस पर राधाकृष्ण मंदिर स्थित है एवं प्रांगण है.
3. डिण्डौरी नगर के नजूल शीट नंबर 7-सी, प्लॉट नंबर 5, एरिया 870 वर्गफुट है, जिस पर गद्दी राधाकृष्ण मंदिर स्थित है एवं प्रांगण है.
4. डिण्डौरी नगर के मालगुजारी क्षेत्र वार्ड नंबर 8 में खसरा नंबर 160/6, रकबा 0.004 हैक्टर पर एक दो मंजिला पक्का मकान निर्मित है, जो कि किराये से संचालित है.
5. ग्राम विक्रमपुर, राजस्व निरीक्षक मण्डल बजाग, तहसील बजाग, जिला डिण्डौरी में खसरा नंबर 424, रकबा 3.48 हैक्टर की भूमि स्थित है, जो कि कृषि भूमि है एवं राजस्व प्रलेखों में राधाकृष्ण कुटी के नाम पर दर्ज है.
6. ग्राम बिलाईखार माल, राजस्व निरीक्षक मण्डल एवं तहसील बजाग, जिला डिण्डौरी में खसरा नंबर 296, रकबा 1.00 हैक्टर की भूमि स्थित है, जो कि कृषि भूमि है एवं राजस्व प्रलेखों में राधाकृष्ण के नाम दर्ज है.
7. श्री राधाकृष्ण मंदिर की मूर्ति के सोने, चांदी के आभूषण मंदिर के पूजन उपयोग का सामान, बिछायत मंदिर में लगी घड़ी पंखा आदि.
8. पुराना बैंक खाता क्रमांक 661513038116, जिला सहकारी बैंक शाखा डिण्डौरी में स्थित है.
9. केनरा बैंक डिण्डौरी में संचालित नया खाता क्रमांक 411310100003723 में जमा 40000/- चालीस हजार रुपये.

महेश मण्डलोई,
रजिस्ट्रार.

(1153)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, जिला बुरहानपुर

प्र.क्र. बी/113/2019-20.

(नियम-पॉच-1 देखिये)

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत]

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि आवेदन पारसनाथ दिगम्बर जैन समाज बुरहानपुर द्वारा अध्यक्ष रमेश चंद्र पिता बाबूलाल जैन, निवासी फोफनार, तहसील एवं जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये “ लोक न्यास ” के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 15 नवम्बर, 2019 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

श्री पारसनाथ दिगम्बर जैन समाज ट्रस्ट फोफनार, बुरहानपुर तहसील व जिला बुरहानपुर.

1. वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष : श्री रमेश चंद्र पिता बाबूलाल जैन, निवासी फोफनार, जिला बुरहानपुर.
2. चल सम्पत्ति : निरंक.
3. अचल सम्पत्ति : निरंक.

के. आर. बडौले,

(1156)

पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, जिला नीमच

दिनांक 13 अक्टूबर, 2020

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 उपधारा-2 और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

चूंकि श्री अनिल जैन पिता श्री स्व. तेजमल जैन, निवासी-नीमच द्वारा “श्री महावीर चेरिटेबल ट्रस्ट” मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन लोक न्यास के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है.

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 13 नवम्बर, 2020 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है.

अतः मैं, एस. एल. शाक्य, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 13 नवम्बर, 2020 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

- लोक न्यास का नाम व पता : “श्री महावीर चेरिटेबल ट्रस्ट ”
प्रतीक मेडिकोज अम्बेडकर रोड, नीमच, जिला नीमच.
- लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण-
अचल सम्पत्ति : निरंक.
चल सम्पत्ति : रु. 10,000/. (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र)

एस. एल. शाक्य,

(1157)

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी

प्र.क्र.0002/बी-113/2019-20.

पृथ्वीपुर, दिनांक 29 जनवरी, 2020

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 (1951 का 30) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 नियम-5(1) के अंतर्गत]

लोक न्यासों के पंजीयक पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी मध्यप्रदेश के समक्ष यह कि:-

क्र.	नाम	पता	पद
1.	श्री प्रेम चन्द्र जैन साडा	पृथ्वीपुर	संरक्षक
2.	श्री पुरुषोत्तम जैन	पृथ्वीपुर	अध्यक्ष
3.	श्री महेन्द्र जैन लुहरगुवा	पृथ्वीपुर	उपाध्यक्ष
4.	श्री बालचन्द्र जैन	मउरानीपुर	उपाध्यक्ष
5.	डॉ. अजय जैन मडिया	पृथ्वीपुर	महामंत्री
6.	श्री पदम जैन बुखारिया	पृथ्वीपुर	कोषाध्यक्ष
7.	श्री चन्द्र कुमार जैन एडवोकेट	पृथ्वीपुर	मंत्री
8.	ब्र स्वतंत्र भैया	टीकमगढ़ (म.प्र.)	सदस्य
9.	पं. जयकुमार शास्त्री	बड़ागाँव धसान	सदस्य
10.	श्री अखिलेश जैन	टीकमगढ़ (म.प्र.)	सदस्य
11.	श्री अक्षय जैन बंधा जी	टीकमगढ़ (म.प्र.)	सदस्य
12.	श्री रविन्द्र जैन टेहरका	टीकमगढ़ (म.प्र.)	सदस्य
13.	श्री प्रकाशचंद्र जैन	मडिया	सदस्य

चूंकि आवेदकों/न्यासियों की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा श्री दिगम्बर जैन सर्वोदय तीर्थ परमार्थ ट्रस्ट मडिया, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी (म.प्र.) पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु ट्रस्ट एक्ट 1951 के अधीन पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 03 मार्च, 2020 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा। इस संबंध में जिस किसी को आपत्ति हो वह आपत्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रकरण में नियत दिनांक 03 मार्च, 2020 के अंदर इस न्यायालयीन दिवस में स्वयं अथवा अधिकृत अभिभाषक के माध्यम से अपनी आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त अवधि के अवसर के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

लोक न्यास का नाम	:	श्री दिगम्बर जैन सर्वोदय तीर्थ परमार्थ ट्रस्ट मडिया पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी मध्यप्रदेश.
अचल संपत्ति	:	भूमि ख.नं. 36/2, 39/2/3 किता-2 कुल रकबा 0.260 हे. स्थित ग्राम मडिया खास.
चल संपत्ति	:	निरंक.

कुशल सिंह गौतम,

(1158)

रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं**कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर**

ग्वालियर, दिनांक 14 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/2286.—जय माँ शीतला मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरसा घाटीगांव, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्लू.आर./1018, दिनांक 02 सितम्बर, 2013 के सम्बंध में कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला ग्वालियर ने अपने पत्र क्रमांक/554/म./ससम/तक/2020-21 ग्वालियर दिनांक 19 जून, 2020 से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में लाई गई हैं जो निम्नानुसार हैं:-

1. जय माँ शीतला मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरसा घाटीगांव जिला ग्वालियर को जखौदा (डाडाखिरक) जलाशय 10 वर्षीय पट्टे पर प्रदान किया गया था. संस्था अध्यक्ष द्वारा उक्त पट्टा श्री शहजाद कुरेशी पुत्र श्री गनी कुरेशी निवासी-मीट मार्केट इन्द्रा नगर अवाड़पुर ग्वालियर एवं श्री वीरेन्द्र पुत्र कल्लू निवासी-बरई को मत्स्यापालन नीति के विरुद्ध अवैध तरीके से 10 वर्ष हेतु किराये पर देने के लिये अनुबंध संपादित किया गया जो कि जांच उपरांत सत्य पाये जाने के फलस्वरूप मुख्य

कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बरई के आदेश क्रमांक/1164 दिनांक 10 जुलाई, 2019 के द्वारा जय माँ शीतला मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरसा घाटीगांव जिला ग्वालियर का पट्टा निरस्त किया गया। इस प्रकार सोसायटी मुख्यतः किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को न कि साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य कर रही है। किसी व्यक्ति विशेष के हितों को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य कर रही है।

2. सोसायटी द्वारा अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में है अनुपालन करना बन्द कर दिया है।
3. संस्था द्वारा मत्स्य पालन नीति 2008 के पंचायत राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत 1000 हेक्टेयर औसत जल क्षेत्र के जलाशय को पट्टे पर देने का अनुबंध शर्त 19 का उल्लंघन किया है।
4. संस्था निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा वार्षिक, आमसभा का आयोजन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं किया है।
6. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत सम्पूर्ण रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है।

उक्त अनियमितताओं के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2020/1650 ग्वालियर दिनांक 19 अगस्त, 2020 से संस्था को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुये दिनांक 21 सितम्बर, 2020 को कार्यालयीन समय में अपना पक्ष समर्थन प्रमाणकों सहित प्रस्तुत करने बाबत निर्देश दिये गये। संस्था की ओर से निर्धारित दिनांक को कोई भी जबाब/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही नियत समयावधि में भी संस्था की ओर से कोई जबाब/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ अतः यह मानकर कि संस्था को उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है, संस्था को उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत जय माँ शीतला मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरसा घाटीगांव को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत, घाटीगांव को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1159)

ग्वालियर, दिनांक 14 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/2287.—दि इन्दौर सिटीजन सहकारी संस्था मर्या., भितरवार, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्लू.आर./1009, दिनांक 21 नवम्बर, 2012 की अनियमितताओं की जांच संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें संभाग, ग्वालियर द्वारा जांच दल से कराई जाकर प्रतिवेदन पत्र क्रमांक/साख/2020/606 दिनांक 02 जुलाई, 2020 संलग्न प्राप्त होकर कार्यावाही हेतु निर्देश प्राप्त हुये, जिसके पालन में जांच प्रतिवेदन का प्रशिक्षण कराया गया परीक्षण उपरान्त संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में लाई गई है जो निम्नानुसार है:-

1. दि इन्दौर सिटीजन साख सहकारी संस्था मर्या., भितरवार जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्लू.आर./1009 दिनांक 21 नवम्बर, 2012 में जांच दल ने पाया कि संस्था ने उपविधि क्रमांक-03 का उल्लंघन कर एफ.डी.आर, आर.डी. करंट खाता एवं सेविंग खाता के रूप में राशि प्राप्त की है।
2. संस्था द्वारा दिनांक 31 मई, 2018 को संचित हानि 396062.00 रुपये है। उपविधि क्रमांक-43(1) के अनुसार प्रावधान है कि संस्था अध्यक्ष और वित्तिक प्रबंधक संस्था की नगद रकम या सम्पत्ति का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग करने और उसे हड़प लेने के लिये अथवा संस्था के कामकाज में हुई वित्तीय हानि के लिये उत्तरदायी होंगे। अतः संस्था के अध्यक्ष और प्रबंधक द्वारा संस्था को पहुँचाई गई हानि 396062.00 रुपये के लिये उत्तरदायी होकर उपविधि क्रमांक-43(1) के अन्तर्गत दोषी पाये गये है।
3. संस्था के सदस्यों की राशि निजी बैंक, मैच्युअल फंड, लिक्विड फंड में निवेश किया है जो सुरक्षित न होकर उपविधि क्रमांक-3(2) का उल्लंघन है।
4. उपविधि क्रमांक- 69 में कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में नियम व शर्तों के लिये प्रावधान किया गया है परन्तु संस्था द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति में प्रक्रिया, सेवा शर्तों, सेवानियमों आदि का अनुमोदन पंजीयक द्वारा स्वीकृत पेटर्न के अनुसार नहीं किया गया है। जो विधि विपरीत है।
5. उपविधि क्रमांक- 70 में संस्था अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रबंधक इत्यादि जिनको संस्था के संचालन के संबंध में अधिकार है, को कुशल व्यक्ति के समान चिन्ता व सावधानी से काम करने व संस्था को हानि की दशा में हानि के कारणों को साधारण सभा में प्रस्तुत करने एवं साधारण सभा द्वारा परीक्षण कर हानि की पूर्ति हेतु प्रबंध समिति को आवश्यक निर्देश देने का प्रावधान है संस्था द्वारा परीक्षण कर हानि की पूर्ति हेतु प्रबंध समिति को आवश्यक निर्देश देने का प्रावधान है। संस्था द्वारा उपविधि क्रमांक-70 का पालन नहीं किया गया है।

6. संस्था के संचालक श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव वर्ष 2016-17 तक संस्था में कार्यरत रहे तथा निर्वाचन की जानकारी अनुसार श्री राजकुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री राकेश श्रीवास्तव संस्था के निर्वाचित अध्यक्ष हैं। संस्था द्वारा वर्ष 2018-19 में श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव दि इन्दौर सिटीजन साख सहकारी संस्था मर्यादित, डबरा पंजीयन क्रमांक/जे.आर./जी.डब्ल्यू.आर./59 दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 संभागीय संस्था की भितरवार शाखा में लेखापाल तथा संस्था अध्यक्ष श्री राजकुमार श्रीवास्तव, भितरवार शाखा में बतौर प्रबंधक कार्यरत रहे हैं, एवं कार्य कर रहे हैं, जो उपविधि क्रमांक-35(2)(3) एवं 60(2) का भी जानबूझकर स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।
7. संस्था संचालकों द्वारा अपनी संस्था को प्रायवेट चिटफण्ड कम्पनी की तरह संचालित किया जा रहा है। संस्था का निवेश पूर्णतः असुरक्षित है।
8. संस्था के प्रवर्तकों के द्वारा संस्था का पंजीयन दुर्व्यपदेशन की मंशा से कराया गया है। क्योंकि संस्था के संचालकों के द्वारा ही 02 अन्य इसी नाम की साख संस्थाओं का गठन भी ग्वालियर जिले में कराया गया है। उक्त तीनों संस्थाओं के सदस्य आपस में एक-दूसरी संस्था के सदस्य हैं।
9. सोसायटी मुख्यतः किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य कर रही हैं। किसी व्यक्ति विशेष के हितों को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य कर रही है।
10. सोसायटी द्वारा अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों को जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में है अनुपालन करना बन्द कर दिया है।

उक्त अनियमितताओं के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2020/1613 ग्वालियर दिनांक 14 अगस्त, 2020 से संस्था को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुये दिनांक 15 सितम्बर, 2020 को कार्यालयीन समय में अपना पक्ष समर्थन प्रमाणकों सहित प्रस्तुत करने बावत निर्देश दिये गये। संस्था की ओर से दिनांक 15 सितम्बर, 2020 को पत्र प्रस्तुत किया गया कि संस्था को आधारभूत दस्तावेज प्रदान किये जावे। दस्तावेज प्रदान किये जाकर सुनवाई हेतु आगामी तिथि नियत की जावे संस्था को शिकायत से संबंधित समस्त आधारभूत दस्तावेज एवं जांच प्रतिवेदन प्रदाय किये जाकर सुनवाई हेतु आगामी तिथि 24 सितम्बर, 2020 नियत की गई। दिनांक 24 सितम्बर, 2020 को संस्था की ओर से श्री लीलाधर उपाध्यक्ष दि इन्दौर सिटीजन साख सहकारी संस्था मर्यादित, भितरवार द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जबाव प्रस्तुत किया गया। जबाव का परीक्षण किया जो कि संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत दि इन्दौर सिटीजन साख सहकारी संस्था मर्या., भितरवार को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत, भितरवार को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

सी. पी. एस. भदौरिया,

उप-पंजीयक.

(1160)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 23 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1496.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 578, दिनांक 25 फरवरी, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., परमारखेड़ी, जिसका पंजीयन क्रमांक 2026, दिनांक 22 जनवरी, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एन. मेहता, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

ओ. पी. गुप्ता,

उप-पंजीयक.

(1102)

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर**कारण बताओ सूचना-पत्र**

नरसिंहपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल (समस्त सदस्य),

द्वारा श्री ओमप्रकाश पटेल अध्यक्ष,

माँ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुन्हेटी पं. क्र. 813,

मुकाम सुन्हेटी, पोस्ट भौरा, तहसील तेन्दूखेड़ा, विकासखण्ड चावरपाठा, जिला नरसिंहपुर.

पत्र क्र./उ.आ.स./परिसमापन/2020/1074.—जरिये एतद् सूचना-पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि माँ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुन्हेटी पं. क्र. 813 को कार्यालयीन पत्र क्र.773, दिनांक 21 जुलाई, 2020 के द्वारा आपको कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, नरसिंहपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था. लेकिन आप नियत तिथि को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, ना ही संस्था की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत हुआ है और ना ही अभी तक संस्था के क्रियाकलापों की कोई जानकारी प्रस्तुत की गई. संस्था की विगत वर्षों की अंकेक्षण टीप का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया:-

1. संस्था ने पंजीयन दिनांक से अभी तक अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते स्थापित नहीं है.
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है. स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रूचि नहीं है तथा वो निष्क्रिय एवं उदासीन है.
4. संस्था में आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
5. संस्था द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों पालन नहीं किया गया है.

इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के सदस्यों की संस्था के कार्य में कोई रूचि नहीं है. सदस्यों की निष्क्रियता के कारण संस्था के कार्यशील होने की संभावना नहीं है. ऐसी स्थिति में संस्था के अपने अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है. अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर माँ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुन्हेटी पं. क्र. 813 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से अपना जबाब/पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में नियत समयावधि के पश्चात् यह माना जाकर कि संस्था अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहती है, एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए संस्था को परिसमापन लाये जाने का आदेश सहकारी अधिनियम की धारा-69(1) के तहत जारी कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1162)

कारण बताओ सूचना-पत्र

नरसिंहपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल (समस्त सदस्य),

द्वारा श्री ओमप्रकाश ढिमोले अध्यक्ष,

माँ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बनवारी पं. क्र. 691,

मुकाम पोस्ट बनवारी, तहसील गाडरवारा, विकासखण्ड साईखेड़ा, जिला नरसिंहपुर.

पत्र क्र./उ.आ.स./परिसमापन/2020/1075.—जरिये एतद् सूचना-पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि माँ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बनवारी पं. क्र. 691 को कार्यालयीन पत्र क्र.773, दिनांक 21 जुलाई, 2020 के द्वारा आपको कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता,

नरसिंहपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन आप नियत तिथि को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, ना ही संस्था की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत हुआ है और ना ही अभी तक संस्था के क्रियाकलापों की कोई जानकारी प्रस्तुत की गई। संस्था की विगत वर्षों की अंकेक्षण टीप का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया:-

1. संस्था ने पंजीयन दिनांक से अभी तक अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है।
2. संस्था अपने पंजीकृत पते स्थापित नहीं है।
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है। स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रूचि नहीं है तथा वो निष्क्रिय एवं उदासीन है।
4. संस्था में आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
5. संस्था द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों पालन नहीं किया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के सदस्यों की संस्था के कार्य में कोई रूचि नहीं है। सदस्यों की निष्क्रियता के कारण संस्था के कार्यशील होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में संस्था के अपने अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

अतएवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर माँ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बनवारी पं. क्र. 691 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से अपना जबाब/पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में नियत समयावधि के पश्चात् यह माना जाकर कि संस्था अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहती है, एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए संस्था को परिसमापन लाये जाने का आदेश सहकारी अधिनियम की धारा-69(1) के तहत जारी कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1163)

कारण बताओ सूचना-पत्र

नरसिंहपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल (समस्त सदस्य),

द्वारा श्री भरत पटेल अध्यक्ष,

माँ रेवा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मगरधा पं. क्र. 692,

मुकाम पोस्ट मगरधा, तहसील नरसिंहपुर, विकासखण्ड नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर।

पत्र क्र./उ.आ.स./परिसमापन/2020/1076.—जरिये एतद् सूचना-पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि माँ रेवा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मगरधा पं. क्र. 692 को कार्यालयीन पत्र क्र.773, दिनांक 21 जुलाई, 2020 के द्वारा आपको कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता नरसिंहपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन आप नियत तिथि को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, ना ही संस्था की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत हुआ है और ना ही अभी तक संस्था के क्रियाकलापों की कोई जानकारी प्रस्तुत की गई। संस्था की विगत वर्षों की अंकेक्षण टीप का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया:-

1. संस्था ने पंजीयन दिनांक से अभी तक अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है।
2. संस्था अपने पंजीकृत पते स्थापित नहीं है।
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है। स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रूचि नहीं है तथा वो निष्क्रिय एवं उदासीन है।
4. संस्था में आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
5. संस्था द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों पालन नहीं किया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के सदस्यों की संस्था के कार्य में कोई रुचि नहीं है। सदस्यों की निष्क्रियता के कारण संस्था के कार्यशील होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में संस्था के अपने अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

अतएवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर माँ रेवा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मगरधा पं. क्र. 692 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से अपना जबाव/पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में नियत समयावधि के पश्चात् यह माना जाकर कि संस्था अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहती है, एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए संस्था को परिसमापन लाये जाने का आदेश सहकारी अधिनियम की धारा-69(1) के तहत जारी कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1164)

कारण बताओ सूचना-पत्र

नरसिंहपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल (समस्त सदस्य),

द्वारा श्री अरविन्द दीक्षित अध्यक्ष,

रेवा श्री बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नांदनेर पं. क्र. 685,

मुकाम पोस्ट नांदनेर, तहसील गाडरवारा, विकासखण्ड साईंखेडा, जिला नरसिंहपुर।

पत्र क्र./उ.आ.स./परिसमापन/2020/1077.—जरिये एतद् सूचना-पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि रेवा श्री बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नांदनेर पं. क्र. 685 को कार्यालयीन पत्र क्र.773, दिनांक 21 जुलाई, 2020 के द्वारा आपको कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता नरसिंहपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन आप नियत तिथि को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, ना ही संस्था की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत हुआ है और ना ही अभी तक संस्था के क्रियाकलापों की कोई जानकारी प्रस्तुत की गई। संस्था की विगत वर्षों की अंकेक्षण टीप का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया:-

1. संस्था ने पंजीयन दिनांक से अभी तक अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है।
2. संस्था अपने पंजीकृत पते स्थापित नहीं है।
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है। स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है तथा वो निष्क्रिय एवं उदासीन है।
4. संस्था में आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
5. संस्था द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों पालन नहीं किया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के सदस्यों की संस्था के कार्य में कोई रुचि नहीं है। सदस्यों की निष्क्रियता के कारण संस्था के कार्यशील होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में संस्था के अपने अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

अतएवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर रेवा श्री बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नांदनेर पं. क्र. 685 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से अपना जबाव/पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में नियत समयावधि के पश्चात् यह माना जाकर कि संस्था अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहती है, एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए संस्था को परिसमापन लाये जाने का आदेश सहकारी अधिनियम की धारा-69(1) के तहत जारी कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1165)

कारण बताओ सूचना-पत्र

नरसिंहपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल (समस्त सदस्य),
द्वारा श्री चन्द्रशेखर लोधी अध्यक्ष,
आस्था बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बहौरीपार (कला) पं. क्र. 677,
मुकाम पोस्ट बहौरीपार कला, तहसील नरसिंहपुर, विकासखण्ड व जिला नरसिंहपुर.

पत्र क्र./उ.आ.स./परिसमापन/2020/1078.—जरिये एतद् सूचना-पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि आस्था बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बहौरीपार (कला) पं. क्र. 677 को कार्यालयीन पत्र क्र.773, दिनांक 21 जुलाई, 2020 के द्वारा आपको कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता नरसिंहपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था. लेकिन आप नियत तिथि को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, ना ही संस्था की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत हुआ है और ना ही अभी तक संस्था के क्रियाकलापों की कोई जानकारी प्रस्तुत की गई. संस्था की विगत वर्षों की अंकेक्षण टीप का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया:-

1. संस्था ने पंजीयन दिनांक से अभी तक अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते स्थापित नहीं है.
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है. स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रूचि नहीं है तथा वो निष्क्रिय एवं उदासीन है.
4. संस्था में आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
5. संस्था द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों पालन नहीं किया गया है.

इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के सदस्यों की संस्था के कार्य में कोई रूचि नहीं है. सदस्यों की निष्क्रियता के कारण संस्था के कार्यशील होने की संभावना नहीं है. ऐसी स्थिति में संस्था के अपने अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है. अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर आस्था बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बहौरीपार (कला) पं. क्र. 677, को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से अपना जबाब/पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में नियत समयावधि के पश्चात् यह माना जाकर कि संस्था अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहती है, एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए संस्था को परिसमापन लाये जाने का आदेश सहकारी अधिनियम की धारा-69(1) के तहत जारी कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1166)

कारण बताओ सूचना-पत्र

नरसिंहपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल (समस्त सदस्य),
द्वारा श्री बंसीलाल लोधी अध्यक्ष,
श्रद्धा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चौराखेडा पं. क्र. 672,
मुकाम पोस्ट चौराखेडा, तहसील नरसिंहपुर, विकासखण्ड व जिला नरसिंहपुर.

पत्र क्र./उ.आ.स./परिसमापन/2020/1079.—जरिये एतद् सूचना-पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रद्धा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चौराखेडा पं. क्र. 672 को कार्यालयीन पत्र क्र.773, दिनांक 21 जुलाई, 2020 के द्वारा आपको कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता

नरसिंहपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन आप नियत तिथि को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, ना ही संस्था की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत हुआ है और ना ही अभी तक संस्था के क्रियाकलापों की कोई जानकारी प्रस्तुत की गई। संस्था की विगत वर्षों की अंकेक्षण टीप का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया:-

1. संस्था ने पंजीयन दिनांक से अभी तक अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है।
2. संस्था अपने पंजीकृत पते स्थापित नहीं है।
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है। स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रूचि नहीं है तथा वो निष्क्रिय एवं उदासीन है।
4. संस्था में आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
5. संस्था द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों पालन नहीं किया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के सदस्यों की संस्था के कार्य में कोई रूचि नहीं है। सदस्यों की निष्क्रियता के कारण संस्था के कार्यशील होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में संस्था के अपने अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

अतएवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर श्रद्धा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चौराखेडा पं. क्र. 672 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से अपना जबाब/पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में नियत समयावधि के पश्चात् यह माना जाकर कि संस्था अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहती है, एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए संस्था को परिसमापन लाये जाने का आदेश सहकारी अधिनियम की धारा-69(1) के तहत जारी कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1167)

कारण बताओ सूचना-पत्र

नरसिंहपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल (समस्त सदस्य),

द्वारा श्री केदार सिंह अध्यक्ष,

एकता बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झामर पं. क्र. 671,

मुकाम पोस्ट झामर, तहसील गोटेगांव, विकासखण्ड गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर।

पत्र क्र./उ.आ.स./परिसमापन/2020/1080.—जरिये एतद् सूचना-पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि एकता बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झामर पं. क्र. 671 को कार्यालयीन पत्र क्र.773, दिनांक 21 जुलाई, 2020 के द्वारा आपको कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता नरसिंहपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन आप नियत तिथि को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, ना ही संस्था की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत हुआ है और ना ही अभी तक संस्था के क्रियाकलापों की कोई जानकारी प्रस्तुत की गई। संस्था की विगत वर्षों की अंकेक्षण टीप का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया:-

1. संस्था ने पंजीयन दिनांक से अभी तक अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है।
2. संस्था अपने पंजीकृत पते स्थापित नहीं है।
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है। स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रूचि नहीं है तथा वो निष्क्रिय एवं उदासीन है।
4. संस्था में आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
5. संस्था द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों पालन नहीं किया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के सदस्यों की संस्था के कार्य में कोई रुचि नहीं है। सदस्यों की निष्क्रियता के कारण संस्था के कार्यशील होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में संस्था के अपने अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर एकता बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झामर पं. क्र. 671,, को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से अपना जबाब/पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में नियत समयावधि के पश्चात् यह माना जाकर कि संस्था अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहती है, एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए संस्था को परिसमापन लाये जाने का आदेश सहकारी अधिनियम की धारा-69(1) के तहत जारी कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।
(1168)

कारण बताओ सूचना-पत्र

नरसिंहपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल (समस्त सदस्य),

द्वारा श्री आशुतोष दुबे अध्यक्ष,

मॉ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हीरापुर पं. क्र. 712,

मुकाम हीरापुर, पोस्ट भटेरा, तहसील तेन्दुखेडा., विकासखण्ड चावरपाठा, जिला नरसिंहपुर।

पत्र क्र./उ.आ.स./परिसमापन/2020/1081.—जरिये एतद् सूचना-पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि मॉ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हीरापुर भटेरा पं. क्र. 712 को कार्यालयीन पत्र क्र.773, दिनांक 21 जुलाई, 2020 के द्वारा आपको कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता नरसिंहपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन आप नियत तिथि को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, ना ही संस्था की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत हुआ है और ना ही अभी तक संस्था के क्रियाकलापों की कोई जानकारी प्रस्तुत की गई। संस्था की विगत वर्षों की अंकंक्षण टीप का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया:-

1. संस्था ने पंजीयन दिनांक से अभी तक अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है।
2. संस्था अपने पंजीकृत पते स्थापित नहीं है।
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है। स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है तथा वो निष्क्रिय एवं उदासीन है।
4. संस्था में आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
5. संस्था द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों पालन नहीं किया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के सदस्यों की संस्था के कार्य में कोई रुचि नहीं है। सदस्यों की निष्क्रियता के कारण संस्था के कार्यशील होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में संस्था के अपने अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर मॉ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हीरापुर भटेरा पं. क्र. 712 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से अपना जबाब/पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में नियत समयावधि के पश्चात् यह माना जाकर कि संस्था अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहती है, एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए संस्था को परिसमापन लाये जाने का आदेश सहकारी अधिनियम की धारा-69(1) के तहत जारी कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1169)

कारण बताओ सूचना-पत्र

नरसिंहपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल (समस्त सदस्य),
द्वारा श्री अजय सिंह पटेल अध्यक्ष,
जय किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आंखीवाडा पं. क्र. 728,
मुकाम आंखीवाडा, पोस्ट सिमरीबडी, तहसील गोटेगांव., विकासखण्ड गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर.

पत्र क्र./उ.आ.स./परिसमापन/2020/1081.—जरिये एतद् सूचना-पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि जय किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आंखीवाडा पं. क्र. 728, को कार्यालयीन पत्र क्र.773, दिनांक 21 जुलाई, 2020 के द्वारा आपको कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता नरसिंहपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था. लेकिन आप नियत तिथि को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, ना ही संस्था की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत हुआ है और ना ही अभी तक संस्था के क्रियाकलापों की कोई जानकारी प्रस्तुत की गई. संस्था की विगत वर्षों की अंकेक्षण टीप का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया:-

1. संस्था ने पंजीयन दिनांक से अभी तक अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते स्थापित नहीं है.
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है. स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रूचि नहीं है तथा वो निष्क्रिय एवं उदासीन है.
4. संस्था में आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
5. संस्था द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों पालन नहीं किया गया है.

इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के सदस्यों की संस्था के कार्य में कोई रूचि नहीं है. सदस्यों की निष्क्रियता के कारण संस्था के कार्यशील होने की संभावना नहीं है. ऐसी स्थिति में संस्था के अपने अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है. अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर जय किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आंखीवाडा पं. क्र. 728, को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से अपना जबाब/पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में नियत समयवधि के पश्चात् यह माना जाकर कि संस्था अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहती है, एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए संस्था को परिसमापन लाये जाने का आदेश सहकारी अधिनियम की धारा-69(1) के तहत जारी कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1170)

कारण बताओ सूचना-पत्र

नरसिंहपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल (समस्त सदस्य),
द्वारा श्री अभय राज लोधी अध्यक्ष,
श्री नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पडरिया पं. क्र. 738,
मुकाम व पोस्ट पडरिया, तहसील तेन्दूखेड़ा, विकासखण्ड चावरपाठा, जिला नरसिंहपुर.

पत्र क्र./उ.आ.स./परिसमापन/2020/1083.—जरिये एतद् सूचना-पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पडरिया पं. क्र. 738, को कार्यालयीन पत्र क्र.773, दिनांक 21 जुलाई, 2020 के द्वारा आपको कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता

नरसिंहपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन आप नियत तिथि को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, ना ही संस्था की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत हुआ है और ना ही अभी तक संस्था के क्रियाकलापों की कोई जानकारी प्रस्तुत की गई। संस्था की विगत वर्षों की अंकेक्षण टीप का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया:-

1. संस्था ने पंजीयन दिनांक से अभी तक अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है।
2. संस्था अपने पंजीकृत पते स्थापित नहीं है।
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है। स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रूचि नहीं है तथा वो निष्क्रिय एवं उदासीन है।
4. संस्था में आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
5. संस्था द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों पालन नहीं किया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के सदस्यों की संस्था के कार्य में कोई रूचि नहीं है। सदस्यों की निष्क्रियता के कारण संस्था के कार्यशील होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में संस्था के अपने अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

अतएवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर श्री नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पडरिया पं. क्र. 738, को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से अपना जबाब/पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में नियत समयावधि के पश्चात् यह माना जाकर कि संस्था अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहती है, एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए संस्था को परिसमापन लाये जाने का आदेश सहकारी अधिनियम की धारा-69(1) के तहत जारी कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1171)

कारण बताओ सूचना-पत्र

नरसिंहपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल (समस्त सदस्य),
द्वारा श्री चौ योगेन्द्र सिंह अध्यक्ष,
वसुंधरा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवनगर पुराना पं. क्र. 703,
मुकाम व पोस्ट देवनगर, तहसील गोटेगांव, विकासखण्ड गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर.

पत्र क्र./उ.आ.स./परिसमापन/2020/1084.—जरिये एतद् सूचना-पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वसुंधरा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवनगरपुराना पं. क्र. 703 को कार्यालयीन पत्र क्र.773, दिनांक 21 जुलाई, 2020 के द्वारा आपको कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता नरसिंहपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन आप नियत तिथि को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, ना ही संस्था की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत हुआ है और ना ही अभी तक संस्था के क्रियाकलापों की कोई जानकारी प्रस्तुत की गई। संस्था की विगत वर्षों की अंकेक्षण टीप का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया:-

1. संस्था ने पंजीयन दिनांक से अभी तक अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है।
2. संस्था अपने पंजीकृत पते स्थापित नहीं है।
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है। स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रूचि नहीं है तथा वो निष्क्रिय एवं उदासीन है।
4. संस्था में आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
5. संस्था द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों पालन नहीं किया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के सदस्यों की संस्था के कार्य में कोई रूचि नहीं है। सदस्यों की निष्क्रियता के कारण संस्था के कार्यशील होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में संस्था के अपने अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

अतएवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर वसुंधरा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवनगरपुरा पं. क्र. 703 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से अपना जबाब/पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में नियत समयावधि के पश्चात् यह माना जाकर कि संस्था अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहती है, एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए संस्था को परिसमापन लाये जाने का आदेश सहकारी अधिनियम की धारा-69(1) के तहत जारी कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1172)

कारण बताओ सूचना-पत्र

नरसिंहपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल (समस्त सदस्य),
द्वारा श्री चन्द्रमोहन गुप्ता अध्यक्ष,
संजीवनी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बौछार पं. क्र. 702,
मुकाम बौछार, पोस्ट करकबेल, तहसील गोटेगांव, विकासखण्ड गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर.

पत्र क्र./उ.आ.स./परिसमापन/2020/1085.—जरिये एतद् सूचना-पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि संजीवनी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बौछार पं. क्र. 702 को कार्यालयीन पत्र क्र.773, दिनांक 21 जुलाई, 2020 के द्वारा आपको कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता नरसिंहपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था. लेकिन आप नियत तिथि को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, ना ही संस्था की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत हुआ है और ना ही अभी तक संस्था के क्रियाकलापों की कोई जानकारी प्रस्तुत की गई. संस्था की विगत वर्षों की अंकेक्षण टीप का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया:-

1. संस्था ने पंजीयन दिनांक से अभी तक अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते स्थापित नहीं है.
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है. स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रूचि नहीं है तथा वो निष्क्रिय एवं उदासीन है.
4. संस्था में आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
5. संस्था द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों पालन नहीं किया गया है.

इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के सदस्यों की संस्था के कार्य में कोई रूचि नहीं है. सदस्यों की निष्क्रियता के कारण संस्था के कार्यशील होने की संभावना नहीं है. ऐसी स्थिति में संस्था के अपने अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है. अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर संजीवनी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बौछार पं. क्र. 702 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से अपना जबाब/पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में नियत समयावधि के पश्चात् यह माना जाकर कि संस्था अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहती है, एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए संस्था को परिसमापन लाये जाने का आदेश सहकारी अधिनियम की धारा-69(1) के तहत जारी कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1173)

कारण बताओ सूचना-पत्र

नरसिंहपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल (समस्त सदस्य),
द्वारा श्री मोहन सिंह राजपुत अध्यक्ष,
मॉ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पनागर पं. क्र. 700,
मुकाम पनागर, पोस्ट सहावन, तहसील गाडरवारा., विकासखण्ड साईखेडा, जिला नरसिंहपुर.

पत्र क्र./उ.आ.स./परिसमापन/2020/1086.—जरिये एतद् सूचना-पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि मॉ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पनागर पं. क्र. 700, को कार्यालयीन पत्र क्र.773, दिनांक 21 जुलाई, 2020 के द्वारा आपको कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता नरसिंहपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था. लेकिन आप नियत तिथि को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, ना ही संस्था की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत हुआ है और ना ही अभी तक संस्था के क्रियाकलापों की कोई जानकारी प्रस्तुत की गई. संस्था की विगत वर्षों की अंकेक्षण टीप का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया:-

1. संस्था ने पंजीयन दिनांक से अभी तक अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते स्थापित नहीं है.
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है. स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रूचि नहीं है तथा वो निष्क्रिय एवं उदासीन है.
4. संस्था में आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
5. संस्था द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों पालन नहीं किया गया है.

इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के सदस्यों की संस्था के कार्य में कोई रूचि नहीं है. सदस्यों की निष्क्रियता के कारण संस्था के कार्यशील होने की संभावना नहीं है. ऐसी स्थिति में संस्था के अपने अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है. अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर मॉ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पनागर पं. क्र. 700, को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से अपना जबाब/पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में नियत समयावधि के पश्चात् यह माना जाकर कि संस्था अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहती है, एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए संस्था को परिसमापन लाये जाने का आदेश सहकारी अधिनियम की धारा-69(1) के तहत जारी कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1174)

कारण बताओ सूचना-पत्र

नरसिंहपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल (समस्त सदस्य),
द्वारा श्री नारायण पटेल अध्यक्ष,
शस्य मंगलम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करकबेल पं. क्र. 699,
मुकाम व पोस्ट करकबेल, तहसील गोटेगांव, विकासखण्ड गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर.

पत्र क्र./उ.आ.स./परिसमापन/2020/1087.—जरिये एतद् सूचना-पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि शस्य मंगलम बीज उत्पादक

सहकारी समिति मर्या., करकबेल पं. क्र. 699 को कार्यालयीन पत्र क्र.773, दिनांक 21 जुलाई, 2020 के द्वारा आपको कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता नरसिंहपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था. लेकिन आप नियत तिथि को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, ना ही संस्था की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत हुआ है और ना ही अभी तक संस्था के क्रियाकलापों की कोई जानकारी प्रस्तुत की गई. संस्था की विगत वर्षों की अंकेक्षण टीप का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया:-

1. संस्था ने पंजीयन दिनांक से अभी तक अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते स्थापित नहीं है.
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है. स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रूचि नहीं है तथा वो निष्क्रिय एवं उदासीन है.
4. संस्था में आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
5. संस्था द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों पालन नहीं किया गया है.

इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के सदस्यों की संस्था के कार्य में कोई रूचि नहीं है. सदस्यों की निष्क्रियता के कारण संस्था के कार्यशील होने की संभावना नहीं है. ऐसी स्थिति में संस्था के अपने अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है. अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर शस्य मंगलम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करकबेल पं. क्र. 699 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से अपना जबाब/पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में नियत समयावधि के पश्चात् यह माना जाकर कि संस्था अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहती है, एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए संस्था को परिसमापन लाये जाने का आदेश सहकारी अधिनियम की धारा-69(1) के तहत जारी कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1175)

कारण बताओ सूचना-पत्र

नरसिंहपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल (समस्त सदस्य),
द्वारा श्री कमलेश कौरव अध्यक्ष,
बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुम्हीडाबर पं. क्र. 631,
मुकाम कुम्हीडाबर, पोस्ट मिजोर, तहसील गाडरवारा, विकासखण्ड साईखेडा, जिला नरसिंहपुर.

पत्र क्र./उ.आ.स./परिसमापन/2020/1088.—जरिये एतद् सूचना-पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुम्हीडाबर पं. क्र. 631 को कार्यालयीन पत्र क्र.773, दिनांक 21 जुलाई, 2020 के द्वारा आपको कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता नरसिंहपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था. लेकिन आप नियत तिथि को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, ना ही संस्था की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत हुआ है और ना ही अभी तक संस्था के क्रियाकलापों की कोई जानकारी प्रस्तुत की गई. संस्था की विगत वर्षों की अंकेक्षण टीप का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया:-

1. संस्था ने पंजीयन दिनांक से अभी तक अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते स्थापित नहीं है.
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक 7 दिसम्बर, 2017 से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है. स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रूचि नहीं है तथा वो निष्क्रिय एवं उदासीन है.
4. संस्था में आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
5. संस्था द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों पालन नहीं किया गया है.

इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के सदस्यों की संस्था के कार्य में कोई रुचि नहीं है। सदस्यों की निष्क्रियता के कारण संस्था के कार्यशील होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में संस्था के अपने अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

अतएवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुम्हीडाबर पं. क्र. 631 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से अपना जबाब/पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में नियत समयावधि के पश्चात् यह माना जाकर कि संस्था अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहती है, एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए संस्था को परिसमापन लाये जाने का आदेश सहकारी अधिनियम की धारा-69(1) के तहत जारी कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1176)

कारण बताओ सूचना-पत्र

नरसिंहपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल (समस्त सदस्य),
द्वारा श्री महेश सिंह गुमास्ता अध्यक्ष,
जागृति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लौहारी पं. क्र. 653,
मुकाम लौहारी, पोस्ट करकबेल, तहसील गोटेगांव., विकासखण्ड गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर।

पत्र क्र./उ.आ.स./परिसमापन/2020/1089.—जरिये एतद् सूचना-पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि जागृति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लौहारी पं. क्र. 653 को कार्यालयीन पत्र क्र.773, दिनांक 21 जुलाई, 2020 के द्वारा आपको कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता नरसिंहपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन आप नियत तिथि को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, ना ही संस्था की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत हुआ है और ना ही अभी तक संस्था के क्रियाकलापों की कोई जानकारी प्रस्तुत की गई। संस्था की विगत वर्षों की अंकेक्षण टीप का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया:-

1. संस्था ने पंजीयन दिनांक से अभी तक अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है।
2. संस्था अपने पंजीकृत पते स्थापित नहीं है।
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है। स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है तथा वो निष्क्रिय एवं उदासीन है।
4. संस्था में आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
5. संस्था द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों पालन नहीं किया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के सदस्यों की संस्था के कार्य में कोई रुचि नहीं है। सदस्यों की निष्क्रियता के कारण संस्था के कार्यशील होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में संस्था के अपने अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

अतएवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर जागृति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लौहारी पं. क्र. 653, को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से अपना जबाब/पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में नियत समयावधि के पश्चात् यह माना जाकर कि संस्था अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहती है, एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए संस्था को परिसमापन लाये जाने का आदेश सहकारी अधिनियम की धारा-69(1) के तहत जारी कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1177)

कारण बताओ सूचना-पत्र

नरसिंहपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल (समस्त सदस्य),
द्वारा श्री सत्येन्द्र कौरव अध्यक्ष,
मेकलसुता बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छीतापार पं. क्र. 641,
मुकाम व पोस्ट छीतापार, तहसील गाडरवारा, विकासखण्ड चावरपाठा, जिला नरसिंहपुर.

पत्र क्र./उ.आ.स./परिसमापन/2020/1090.—जरिये एतद् सूचना-पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि मेकलसुता बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छीतापार पं. क्र. 641 को कार्यालयीन पत्र क्र.773, दिनांक 21 जुलाई, 2020 के द्वारा आपको कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता नरसिंहपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था. लेकिन आप नियत तिथि को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, ना ही संस्था की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत हुआ है और ना ही अभी तक संस्था के क्रियाकलापों की कोई जानकारी प्रस्तुत की गई. संस्था की विगत वर्षों की अंकेक्षण टीप का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया:-

1. संस्था ने पंजीयन दिनांक से अभी तक अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते स्थापित नहीं है.
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है. स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रूचि नहीं है तथा वो निष्क्रिय एवं उदासीन है.
4. संस्था में आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
5. संस्था द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों पालन नहीं किया गया है.

इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के सदस्यों की संस्था के कार्य में कोई रूचि नहीं है. सदस्यों की निष्क्रियता के कारण संस्था के कार्यशील होने की संभावना नहीं है. ऐसी स्थिति में संस्था के अपने अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है. अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर मेकलसुता बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छीतापार पं. क्र. 641 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से अपना जबाब/पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में नियत समयावधि के पश्चात् यह माना जाकर कि संस्था अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहती है, एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए संस्था को परिसमापन लाये जाने का आदेश सहकारी अधिनियम की धारा-69(1) के तहत जारी कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1178)

कारण बताओ सूचना-पत्र

नरसिंहपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल (समस्त सदस्य),
द्वारा श्री गोविन्द सिंह कौरव अध्यक्ष,
बलराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गरहा पं. क्र. 652,
मुकाम व पोस्ट गरहा, तहसील गाडरवारा, विकासखण्ड चावरपाठा, जिला नरसिंहपुर.

पत्र क्र./उ.आ.स./परिसमापन/2020/1091.—जरिये एतद् सूचना-पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि बलराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गरहा पं. क्र. 652 को कार्यालयीन पत्र क्र.773, दिनांक 21 जुलाई, 2020 के द्वारा आपको कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता नरसिंहपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था. लेकिन आप नियत तिथि को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, ना ही संस्था की ओर

से कोई आवेदन प्रस्तुत हुआ है और ना ही अभी तक संस्था के क्रियाकलापों की कोई जानकारी प्रस्तुत की गई. संस्था की विगत वर्षों की अंकेक्षण टीप का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया:-

1. संस्था ने पंजीयन दिनांक से अभी तक अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते स्थापित नहीं है.
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है. स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रूचि नहीं है तथा वो निष्क्रिय एवं उदासीन है.
4. संस्था में आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
5. संस्था द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों पालन नहीं किया गया है.

इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के सदस्यों की संस्था के कार्य में कोई रूचि नहीं है. सदस्यों की निष्क्रियता के कारण संस्था के कार्यशील होने की संभावना नहीं है. ऐसी स्थिति में संस्था के अपने अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है. अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर बलराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गरहा पं. क्र. 652 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से अपना जबाव/पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में नियत समयावधि के पश्चात् यह माना जाकर कि संस्था अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहती है, एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए संस्था को परिसमापन लाये जाने का आदेश सहकारी अधिनियम की धारा-69(1) के तहत जारी कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1179)

कारण बताओ सूचना-पत्र

नरसिंहपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल (समस्त सदस्य),
द्वारा श्री गोविन्द सिंह पटेल अध्यक्ष,
ओमसाई बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बहोरीपार (खुर्द) पं. क्र. 667,
मुकाम व पोस्ट बहोरीपार (खुर्द), तहसील नरसिंहपुर, विकासखण्ड नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर.

पत्र क्र./उ.आ.स./परिसमापन/2020/1092.—जरिये एतद् सूचना-पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि ओमसाई बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बहोरीपार (खुर्द) पं. क्र. 667 को कार्यालयीन पत्र क्र.773, दिनांक 21 जुलाई, 2020 के द्वारा आपको कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता नरसिंहपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था. लेकिन आप नियत तिथि को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, ना ही संस्था की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत हुआ है और ना ही अभी तक संस्था के क्रियाकलापों की कोई जानकारी प्रस्तुत की गई. संस्था की विगत वर्षों की अंकेक्षण टीप का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया:-

1. संस्था ने पंजीयन दिनांक से अभी तक अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते स्थापित नहीं है.
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है. स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रूचि नहीं है तथा वो निष्क्रिय एवं उदासीन है.
4. संस्था में आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
5. संस्था द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों पालन नहीं किया गया है.

इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के सदस्यों की संस्था के कार्य में कोई रुचि नहीं है। सदस्यों की निष्क्रियता के कारण संस्था के कार्यशील होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में संस्था के अपने अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

अतएवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर ओमसाई बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बहोरीपार (खुर्द) पं. क्र. 667 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से अपना जबाब/पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में नियत समयावधि के पश्चात् यह माना जाकर कि संस्था अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहती है, एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए संस्था को परिसमापन लाये जाने का आदेश सहकारी अधिनियम की धारा-69(1) के तहत जारी कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।
(1180)

कारण बताओ सूचना-पत्र

नरसिंहपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल (समस्त सदस्य),
द्वारा श्री कैलाश पटेल अध्यक्ष,
शिवशक्ति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., समनापुर पं. क्र. 669,
मुकाम व पोस्ट समनापुर, तहसील नरसिंहपुर, विकासखण्ड नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर।

पत्र क्र./उ.आ.स./परिसमापन/2020/1093.—जरिये एतद् सूचना-पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि शिवशक्ति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., समनापुर पं. क्र. 669 को कार्यालयीन पत्र क्र.773, दिनांक 21 जुलाई, 2020 के द्वारा आपको कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता नरसिंहपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन आप नियत तिथि को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, ना ही संस्था की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत हुआ है और ना ही अभी तक संस्था के क्रियाकलापों की कोई जानकारी प्रस्तुत की गई। संस्था की विगत वर्षों की अंकंक्षण टीप का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया:-

1. संस्था ने पंजीयन दिनांक से अभी तक अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है।
2. संस्था अपने पंजीकृत पते स्थापित नहीं है।
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है। स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है तथा वो निष्क्रिय एवं उदासीन है।
4. संस्था में आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
5. संस्था द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों पालन नहीं किया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के सदस्यों की संस्था के कार्य में कोई रुचि नहीं है। सदस्यों की निष्क्रियता के कारण संस्था के कार्यशील होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में संस्था के अपने अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

अतएवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर शिवशक्ति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., समनापुर पं. क्र. 669 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से अपना जबाब/पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में नियत समयावधि के पश्चात् यह माना जाकर कि संस्था अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहती है, एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए संस्था को परिसमापन लाये जाने का आदेश सहकारी अधिनियम की धारा-69(1) के तहत जारी कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1181)

कारण बताओ सूचना-पत्र

नरसिंहपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल (समस्त सदस्य),
द्वारा श्री अनूप चौधरी अध्यक्ष,
बल्दाउ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बगलई गुजर पं. क्र. 678,
मुकाम व पोस्ट बगलई गुजर, तहसील गोटेगांव, विकासखण्ड गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर.

पत्र क्र./उ.आ.स./परिसमापन/2020/1094.—जरिये एतद् सूचना-पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि बल्दाउ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बगलई गुजर पं. क्र. 678 को कार्यालयीन पत्र क्र.773, दिनांक 21 जुलाई, 2020 के द्वारा आपको कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता नरसिंहपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था. लेकिन आप नियत तिथि को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, ना ही संस्था की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत हुआ है और ना ही अभी तक संस्था के क्रियाकलापों की कोई जानकारी प्रस्तुत की गई. संस्था की विगत वर्षों की अंकेक्षण टीप का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया:-

1. संस्था ने पंजीयन दिनांक से अभी तक अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते स्थापित नहीं है.
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है. स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रूचि नहीं है तथा वो निष्क्रिय एवं उदासीन है.
4. संस्था में आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
5. संस्था द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों पालन नहीं किया गया है.

इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के सदस्यों की संस्था के कार्य में कोई रूचि नहीं है. सदस्यों की निष्क्रियता के कारण संस्था के कार्यशील होने की संभावना नहीं है. ऐसी स्थिति में संस्था के अपने अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है. अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर आस्था बल्दाउ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बगलई गुजर पं. क्र. 678 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से अपना जबाब/पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में नियत समयारविधि के पश्चात् यह माना जाकर कि संस्था अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहती है, एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए संस्था को परिसमापन लाये जाने का आदेश सहकारी अधिनियम की धारा-69(1) के तहत जारी कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1181-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

नरसिंहपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल (समस्त सदस्य),
द्वारा श्री चौ. उदयसिंह लोधी अध्यक्ष,
पवन सुत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुक्लाह पं. क्र. 737,
मुकाम कुक्लाह, पोस्ट पोनिया, तहसील गोटेगांव, विकासखण्ड गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर.

पत्र क्र./उ.आ.स./परिसमापन/2020/1095.—जरिये एतद् सूचना-पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि पवन सुत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुक्लाह पं. क्र. 737 को कार्यालयीन पत्र क्र.773, दिनांक 21 जुलाई, 2020 के द्वारा आपको कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता नरसिंहपुर

में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन आप नियत तिथि को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, ना ही संस्था की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत हुआ है और ना ही अभी तक संस्था के क्रियाकलापों की कोई जानकारी प्रस्तुत की गई। संस्था की विगत वर्षों की अंकेक्षण टीप का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया:-

1. संस्था ने पंजीयन दिनांक से अभी तक अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है।
2. संस्था अपने पंजीकृत पते स्थापित नहीं है।
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है। स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है तथा वो निष्क्रिय एवं उदासीन है।
4. संस्था में आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
5. संस्था द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों पालन नहीं किया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के सदस्यों की संस्था के कार्य में कोई रुचि नहीं है। सदस्यों की निष्क्रियता के कारण संस्था के कार्यशील होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में संस्था के अपने अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

अतएवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर पवन सुत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुक्लाह पं. क्र. 737 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से अपना जबाब/पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में नियत समयावधि के पश्चात् यह माना जाकर कि संस्था अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहती है, एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए संस्था को परिसमापन लाये जाने का आदेश सहकारी अधिनियम की धारा-69(1) के तहत जारी कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1182)

कारण बताओ सूचना-पत्र

नरसिंहपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल (समस्त सदस्य),
द्वारा श्री चन्द्रशेखर परिहार अध्यक्ष,
मेकलसुता बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भौवरगढ़ पं. क्र. 606,
मुकाम भौवरगढ़ पोस्ट सौकलपुर, तहसील गाडरवारा., विकासखण्ड साईंखेड़ा., जिला नरसिंहपुर.

पत्र क्र./उ.आ.स./परिसमापन/2020/1096.—जरिये एतद् सूचना-पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि मेकलसुता बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भौवरगढ़ पं. क्र. 606 को कार्यालयीन पत्र क्र.773, दिनांक 21 जुलाई, 2020 के द्वारा आपको कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता नरसिंहपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन आप नियत तिथि को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, ना ही संस्था की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत हुआ है और ना ही अभी तक संस्था के क्रियाकलापों की कोई जानकारी प्रस्तुत की गई। संस्था की विगत वर्षों की अंकेक्षण टीप का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया:-

1. संस्था ने पंजीयन दिनांक से अभी तक अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है।
2. संस्था अपने पंजीकृत पते स्थापित नहीं है।
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है। स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है तथा वो निष्क्रिय एवं उदासीन है।
4. संस्था में आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
5. संस्था द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों पालन नहीं किया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के सदस्यों की संस्था के कार्य में कोई रुचि नहीं है। सदस्यों की निष्क्रियता के कारण संस्था के कार्यशील होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में संस्था के अपने अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

अतएवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर मेकलसुता बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भौवरगढ पं. क्र. 606 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से अपना जबाब/पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में नियत समयावधि के पश्चात् यह माना जाकर कि संस्था अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहती है, एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए संस्था को परिसमापन लाये जाने का आदेश सहकारी अधिनियम की धारा-69(1) के तहत जारी कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

अखिलेश कुमार निगम,
डिप्टी रजिस्ट्रार.

(1183)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 05 अगस्त, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 तथा नियम-1962 के नियम क्रमांक-57 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/क्यू.02.—कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नांकित समितियों को परिसमापन में लाया जाकर धारा-69(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्त किये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	जिला सहकारी कृषि ग्रामीण बैंक कर्मचारी कल्याण साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद.	2626/11-06-1996	1925/03-10-2019
2.	महालक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी समिति, पांजराकलॉ	3093/21-12-2013	1925/03-10-2019
3.	नर्मदा प्राथ. सहकारी मुद्रणालय, होशंगाबाद	2458/31-07-1995	1925/03-10-2019
4.	प्रोफेसर गृह निर्माण सह. समिति, होशंगाबाद	2107/26-03-1979	1023/17-04-2018
5.	श्रीराम गृह निर्माण सह. समिति, होशंगाबाद	2112/05-02-1980	1022/17-04-2018
6.	आगम चेतना गृह निर्माण सह. समिति, सिवनीमालवा	2432/15-06-1994	92/14-01-2020

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 तथा नियम-1962 के नियम क्रमांक-57 के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय लिखित प्रमाण-पत्र के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी भी दावेदार द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था के लेखा संबंधी दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि पदाधिकारियों ने संपर्क नहीं किया तो पंजीयन निरस्ती हेतु आगामी कार्यवाही की जावेगी तथा दस्तावेजों के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अगस्त, 2020 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

बी. के. शर्मा,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(1161)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 06 नवम्बर, 2020-कार्तिक 15, शके 1942

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-आभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 30 सितम्बर, 2020

1. मौसम एवं वर्षा:—प्रायः राज्य में मौसम मेघाच्छादित रहा। राज्य के कुछ जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है। संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 में वर्षा मिली मीटर में प्रतिवेदित की गई है।

2. प्रारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव :-राज्य के कुछ जिलों में जुलाई चालू है।

3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :- राज्य के कुछ जिलों में बोनी चालू है।

4. धान रोपाई पर वर्षा का प्रभाव :-रोपाई समाप्त हो चुकी है।

5. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :-कोई प्रभाव होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है।

6. कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :-कोई प्रभाव होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है।

7. अन्य असामयक घटना से छति :-कोई छति होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है।

8. फसल स्थिति :-जिलों से प्राप्त पत्रकों में कुछ जिलों में फसल बिगड़ी हुई प्रतिवेदित किया गया है।

9. सिंचाई:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है।

10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है।

11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।

12. बीज:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक-1, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 30 सितम्बर, 2020

क्र.	जिला	तहसील	सप्ताह में वर्षा जो हुई मि. मी. वर्षा कम/अधिक.		कृषि कार्यों, प्रारम्भिक जुलाई, बोनी पर (रोपाई) पर (धान) कटी हुई फसल वर्षा	खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण का प्रभाव.	असमयिक घटना	क्षति प्रतिशत में	जिले की गत वर्ष की फसल की तुलना में चालू वर्ष की खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान फसल का क्षेत्रफल-समान या कम प्रतिशत फसल की हालत-समान, बिगड़ी या सुधरी प्रतिशत						5. सिंचाई के लिये पानी पर्याप्त या अपर्याप्त. 6 (अ) चारे की प्राप्ति. 6 (ब) पशुओं की हालत			(7) बीज की प्राप्ति कृषि सम्बन्धी. (8) मजदूरों की प्राप्ति		
1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
1.	मुरैना :		..	पर्याप्त	..	..	..	..	..	बाजरा	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		अम्बाह	3.0	..	..	..	..	..	..	ज्वार	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पोरसा	5.0	..	..	..	..	..	..	धान	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		मुरैना	2.0	..	..	..	..	..	..	मूँग	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		जौरा	3.0	..	..	..	..	..	..	उड़द	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		कैलारस	..	..	..	..	..	..	..	तुअर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		सबलगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2.	श्योपुर :		..	कम	जुलाई चालू	..	..	..	गन्ना	धान	ज्वार	सामान्य	..	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. . .
		श्योपुर	..	..	..	..	..	..	बाजरा	मक्का	तिल	सामान्य	..	समान	..	..	..	..	..	..
		कराहल	12.0	..	..	..	..	..	सोयाबीन	उड़द	मूँग	सामान्य	..	समान	..	..	..	..	..	..
		विजयपुर	3.0	..	..	..	..	..	तुअर	कपास	..	सामान्य	..	समान	..	..	..	..	..	..
		वीरपुर	16.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		बडोदा	12.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			..	..	..	..	..	..	..	बाजरा	धान	तिल	सामान्य	..	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.
3.	भिण्ड :		..	..	..	..	..	..	बाजरा	धान	तिल	सामान्य	..	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		अटेर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		भिण्ड	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		गोहद	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		मेहगांव	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		लहार	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		रैन+मिहोना	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	..	..	..	..	..	..	..	गोरमी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
	..	..	..	..	..	..	..	मौ	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
4.	*ग्वालियर:	ग्वालियर डबरा भितरवार चीनोर घाटीगांव			अप्राप्त										5. अप्राप्त	6.(अ).	6.(ब).	7.	8.
5.	दतिया :	सैंवड़ा दतिया इन्दरगढ़ बढौनी भाण्डेर	. . 10.0 4.0 10.0	पर्याप्त				गन्ना उड़द मूंग तिल धान ज्वार	 तिल	 मूंगफली	अधिक कम समान अधिक कम	10% 5% . . 5% 20%	सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.	8. पर्याप्त.
6.	शिवपुरी :	शिवपुरी पिछोर खनियाधाना नरवर करैरा कोलारस पोहरी बैराढ़ बदरवास	. . 9.0 18.0 43.0 . . 9.0 10.0 13.0 18.0 3.0					सोयाबीन मूंगफली तिल उड़द मूंग धान ज्वार मक्का			अधिक अधिक अधिक कम कम अधिक कम अधिक	25% 30% 5% 40% 15% 15% 30% 85%	सामान्य सामान्य सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सामान्य सामान्य समान	 40% 25% 20%	5.	6.(अ)	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
7.	अशोकनगर :	मुँगावली ईसागढ़ अशोकनगर चन्देरी नई सराय पिपरई शाढोरा	. . 29.0 12.0 67.0 49.0					उड़द सोयाबीन मक्का धान			कम अधिक अधिक अधिक	20% 40% 50% 100%	सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.	8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
8.	गुना :		पर्याप्त	..	..	..	..	सोयाबीन	..	..	कम	2%	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		गुना	60.0	..	..	..	..	मक्का	..	..	अधिक	60%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		राघोगढ़	33.0	..	..	..	..	उड़द	..	..	कम	40%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		बमोरी	10.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		आरोन	26.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		चाचौड़ा	16.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		मकसूदनगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		कुम्भराज	67.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
9.	टीकमगढ़ :		कम	..	..	..	..	धान	..	..	अधिक	0.05	सामान्य	..	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		जतारा	8.0	..	..	..	..	ज्वार	..	..	कम	0.05	समान	..	..	..	..	..	0
		टीकमगढ़	3.0	..	..	..	..	सोयाबीन	..	..	कम	10%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		बल्देवगढ़	..	..	..	..	..	मूंगफली	..	..	कम	5%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		पलेरा	2.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		खरगापुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		मोहनगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		लिधौरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
10.	निवाड़ी :		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. ...	6.(अ). ..	6.(ब). ..	7. ...	8. ...	
		निवाड़ी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पृथ्वीपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		ओरछा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
11.	छतरपुर :		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. ...	6.(अ). ..	6.(ब). ..	7. ...	8. ...	
		गौरीहार	102.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		नौगांव	25.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		छतरपुर	103.8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		राजनगर	61.4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		बिजावर	43.2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		बड़ा मलहण	41.6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		महाराजपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		चंदला	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		धुवारा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		लवकुशनगर	70.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		बक्सवाहा	76.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
12.	पन्ना :		..	पर्याप्त	..	..	..	..	धान	..	..	..	..	..	..	5. . .	6.(अ)पर्याप्त	6.(ब)अच्छी	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		अजयगढ़	34.0	..	..	..	..	..	ज्वार	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पन्ना	48.4	..	..	..	..	..	तुअर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		गुन्नौर	13.0	..	..	..	..	..	उड़द	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पवई	30.0	..	..	..	..	..	तिल	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		रैपुरा	..	..	..	..	..	..	सोयाबीन	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		अमानगंज	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		देवेन्द्रनगर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		सिमरिया	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		शाहनगर	17.7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
जयसिंह नगर	17.7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
13.	सागर :	..	कम	..	..	..	..	..	धान	..	..	अधिक	100%	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बीना	21.2	..	..	..	..	..	ज्वार	..	..	अधिक	70%	बिगड़ी	30%	..	..	..	..	..
		खुरई	38.7	..	..	..	..	..	मक्का	..	..	कम	40%	बिगड़ी	30%	..	..	..	..	..
		बण्डा	123.4	..	..	..	..	..	तुअर	..	..	कम	50%	बिगड़ी	30%	..	..	..	..	..
		सागर	55.2	..	..	..	..	..	उड़द	..	..	कम	40%	बिगड़ी	30%	..	..	..	..	..
		रेहली	47.0	..	..	..	..	..	मूंग	..	..	अधिक	40%	बिगड़ी	30%	..	..	..	..	..
		देवरी	10.0	..	..	..	..	..	सोयाबीन	..	..	कम	25%	बिगड़ी	30%	..	..	..	..	..
		गढ़ाकोटा	40.2	..	..	..	..	..	तिल	..	..	कम	100%	बिगड़ी	30%	..	..	..	..	..
		राहतगढ़	80.0	..	..	..	..	..	मूंगफली	..	..	कम	30%	बिगड़ी	30%	..	..	..	..	..
		केसली	28.0	..	..	..	..	..	अन्य	..	..	कम	80%	बिगड़ी	30%	..	..	..	..	..
14.	दमोह :	मालथोन	29.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		शाहगढ़	39.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			पर्याप्त	..	..	..	..	..	सोयाबीन	..	..	अधिक	30%	सामान्य	..	5. . .	6.(अ). .	6.(ब). .	7. . .	8. . .
		हटा	64.0	..	..	..	..	..	मूंग	..	..	अधिक	50%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		बटियागढ़	25.0	..	..	..	..	..	तुअर	..	..	अधिक	40%	समान	..	..	..	..	..	..
		दमोह	38.0	..	..	..	..	..	धान	..	..	अधिक	15%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		पथरिया	15.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		जवेरा	10.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		तेन्दूखेड़ा	12.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पटेरा	68.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
15.	सतना :		25.1	पर्याप्त	..	..	..	धान	..	..	कम	..	सामान्य	..	5. ..	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. ..	8. पर्याप्त.
		रघुराजनगर	28.3	..	..	..	..	ज्वार	..	..	सामान्य	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		मझगवां	17.0	..	..	..	..	मक्का	..	..	सामान्य	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		रामपुर (ब.)	12.0	..	..	..	..	बाजरा	..	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		नागौद	31.6	..	..	..	..	तुअर	..	..	सामान्य	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		उचेहरा	17.0	..	..	..	..	मूंग	..	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		अमरपाटन	4.0	..	..	..	..	उड़द	..	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		रामनगर	9.8	..	..	..	..	तिल	..	..	सामान्य	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		मैहर	5.2	..	..	..	..	सोयाबीन	..	..	सामान्य	..	समान	..	..	..	..	..	..
		कोठर	..	..	..	..	..	अन्य	..	..	सामान्य	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		बिरसिहपुर	52.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
16.	रीवा :	..	पर्याप्त	जुताई चालू	..	..	..	धान	..	..	अधिक	5%	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		त्थौंथर	24.2	..	बोनी चालू	..	..	..	तुअर	..	..	कम	15%	सामान्य	..	..	..	..	..
		सिरमौर	39.2	..	..	..	..	..	ज्वार	..	..	कम	20%	समान	..	..	..	..	..
		मऊगंज	35.0	..	..	..	..	..	अलसी	..	..	कम	20%	सामान्य	..	..	..	..	..
		हनुमना	19.2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		हुजूर	66.4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		गुढ़	89.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		मनगवां	81.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		सेमरिया	44.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		जवा	74.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		नईगढ़ी	83.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
रायपुर (कर्चु)	94.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
17.	शहडोल :	..	पर्याप्त	जुताई चालू	..	..	..	धान	..	..	अधिक	5%	समान	..	5.पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		सोहागपुर	8.0	..	बोनी चालू	..	..	..	मक्का	..	..	सामान्य	..	सामान्य	..	..	..	..	..
		ब्यौहारी	26.0	..	..	..	..	..	उड़द	..	..	सामान्य	..	सामान्य	..	..	..	..	..
		जयसिंहनगर	12.0	..	..	..	..	..	तिल	..	..	सामान्य	..	सामान्य	..	..	..	..	..
		बुढ़ार	4.0	..	..	..	..	..	तुअर	..	..	अधिक	2%	सामान्य	..	..	..	..	..
		गोहपारू	11.0	..	..	..	..	..	अन्य	..	..	कम	2%	सामान्य	..	..	..	..	..
		जैतपुर	32.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
29.	झाबुआ :			जुताई चालू	..	..	..	मक्का	..	..	सामान्य	..	सामान्य	..	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. . .
		थांदला		..	..	..	..	कपास	..	..	सामान्य	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		मेघनगर		..	..	..	..	सोयाबीन	..	..	सामान्य	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		पेटलावद		..	..	..	..	उड़द	तुअर	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		झाबुआ		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		राणापुर		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		रामा	1.0 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
30.	अलीराजपुर :		.. पर्याप्त	..	..	..	..	मक्का	..	..	कम	2%	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		जोवट	27.20 ..	..	..	..	..	उड़द	..	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..
		अलीराजपुर	56.20 ..	..	..	..	..	सोयाबीन	..	..	कम	2%	..	..	..	..	..	..	.
		कट्टीवाड़ा	43.0 ..	..	..	..	..	बाजरा	..	..	कम	2%	..	..	..	..	..	..	.
		सोंडवा	49.0 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		उदयगढ़	30.80 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		चन्द्रशेखर आ. नगर	51.0 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
31.	धार :		.. पर्याप्त	..	..	..	..	सोयाबीन	..	..	कम	..	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		बदनावर	21.7 ..	..	..	..	..	मक्का	..	..	कम	10%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		सरदारपुर	67.0 ..	..	..	..	..	कपास	..	..	अधिक	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		धार	32.7 ..	..	..	..	..	गन्ना	..	..	अधिक	10%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		कुक्षी	50.0 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		मनावर	42.0 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		धरमपुरी	46.0 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		गंधवानी	56.0 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		डही	27.0 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पीथमपुर	51.8 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
32.	इन्दौर :		.. पर्याप्त	..	इल्ली	वर्षा	..	सोयाबीन	..	..	..	..	बिगड़ी	55%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		देपालपुर	16.30 ..	..	गेरुआ	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		सांवेर	16.60 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		इन्दौर	31.60 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		गौतमपुरा	57.50 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		महू (अम्बे)	38.0 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
33.	खरगौन :	.. पर्याप्त	..	..	..	..	..	ज्वार	कपास	तुअर	कम	..	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
	बड़वाह	18.0	..	..	..	..	..	मक्का	सोयाबीन	मूँगफली	अधिक	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
	महेश्वर	3.8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	सेगांव	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	खरगौन	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	गोगावां	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	कसरावद	5.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	भगवानपुरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	भीकनगांव	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	सनावद	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	झिरन्या	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
34.	बड़वानी :	.. पर्याप्त	..	..	..	..	..	मक्का	गन्ना	..	सामान्य	..	..	..	5.अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
	बड़वानी	34.0	..	..	..	..	..	ज्वार	..	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..
	ठीकरी	49.2	..	..	..	..	..	सोयाबीन	..	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..
	राजपुर	32.0	..	..	..	..	..	कपास	..	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..
	सेंधवा	60.0	..	..	..	..	..	अन्य	..	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..
	पानसेमल	31.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	पाटी	28.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	अंजड	23.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बरला	76.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	निवाली	36.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
35.	खण्डवा :	.. पर्याप्त	..	..	..	..	..	सोयाबीन	..	..	अधिक	10%	सामान्य	..	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. ..	8. पर्याप्त.
	खण्डवा	26.0	..	..	..	..	..	कपास	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	पुनासा	..	..	..	..	..	..	धान	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	खालवा	1.0	..	..	..	..	..	मक्का	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	पंधाना	8.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	हरसूद	11.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
36.	बुरहानपुर :	..	..	..	..	..	..	कपास	..	..	अधिक	2%	समान	..	5. ..	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
	बुरहानपुर	17.2	..	..	..	..	..	सोयाबीन	..	..	कम	5%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
	खकनार	..	..	..	..	..	..	ज्वार	..	..	कम	2%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
	नेपानगर	..	..	..	..	..	..	मक्का	..	..	अधिक	5%	सामान्य	..	..	..	..	..	..

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10	
37.	राजगढ़ :	राजगढ़ जीरापुर खिलचीपुर ब्यावरा सारंगपुर पचोर नरसिंहगढ़	.. पर्याप्त 54.0 .. 8.2 .. 35.2 .. 53.8 .. 43.4 .. 66.3 .. 41.0 ..					सोयाबीन मक्का मूंग उड़द मूंगफली तुअर ज्वार				5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.		
38.	विदिशा :	लटेरी सिरोंज कुरवाई बासोदा नटेरन विदिशा गुलाबगंज शमसाबाद त्यौंदा पठारी ग्यारसपुर	.. पर्याप्त 73.0 .. 53.3 .. 72.6 .. 55.2 .. 79.0 .. 36.2 .. 38.0 106.0 ..				सोयाबीन उड़द	सामान्य सामान्य			5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)सामान्य.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.			
39.	भोपाल :	बैरसिया कोलार हुजूर बैरागढ़	.. पर्याप्त 85.02 .. 24.2 .. 34.10				सोयाबीन धान मक्का ज्वार	मूंग उड़द		कम कम कम समान	10% 10% 15% ..	समान समान सामान्य सामान्य	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.	
40.	सीहोर :	सीहोर आष्टा इछाबर नसरुल्लागंज रेहटी श्यामपुर जावर बुधनी	.. पर्याप्त 64.0 .. 47.0 .. 52.0 .. 22.0 .. 25.4 .. 149.0 .. 108.0 .. 29.0 ..				गन्ना तुअर धान		कम कम सामान्य	50% 15% ..	सामान्य	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.		

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10				
41.	रायसेन :	...	पर्याप्त	...	...	...	...	सोयाबीन	...	...	अधिक	...	सामान्य	...	5. ...	6.(अ) पर्याप्त,	6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.		
		रायसेन	30.6	...	...	...	...	उड़द	...	...	सामान्य	...	सामान्य	...	...	...	...	...	...		
		गैरतगंज	49.0	...	...	...	...	मक्का	...	...	समान	...	सामान्य	...	...	...	...	...	...		
		बेगमगंज	69.0	...	...	...	...	गन्ना	...	...	कम	...	सामान्य	...	...	...	...	...	...		
		गोहरगंज	23.0	...	...	...	...	तुअर	...	...	समान	...	सामान्य	...	...	...	...	...	...		
		बरेली	18.0	...	...	...	...	मूंग	...	...	अधिक	...	सामान्य	...	...	...	...	...	...		
		सिलवानी	34.0	...	...	...	...	ज्वार	...	...	अधिक	...	सामान्य	...	...	...	...	...	...		
		बाड़ी	71.8	...	...	...	...	तिल	...	...	अधिक	...	सामान्य	...	...	...	...	...	...		
		सुल्तानपुर	31.2	...	...	...	...	धान	...	...	अधिक	...	सामान्य	...	...	...	...	...	...		
		उदयपुरा	39.0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
42.	बैतूल :	...	पर्याप्त	...	...	...	...	सोयाबीन	...	...	अधिक	2%	सुधरी हुई	2%	5. ...	6.(अ) पर्याप्त,	6.(ब) अच्छी.	7. ...	8. ...		
		बैतूल	6.2	...	...	...	...	धान	...	...	अधिक	2%	सुधरी हुई	2%	...	...	...	...	...		
		भैंसदेही	15.0	...	...	...	...	मक्का	...	...	अधिक	2%	सुधरी हुई	2%	...	...	...	...	...		
		घोड़ाडोंगरी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
		शाहपुर	8.4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
		चिचोली	8.2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
		मुल्ताई	17.6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
		आठनेर	11.2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
		आमला	15.0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
		प्र.पटनम	12.0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
		43.	होशंगाबाद :	...	पर्याप्त	...	गेरुआ	वर्षा	...	गन्ना	...	...	...	...	समान	...	5. पर्याप्त	6.(अ) ...	6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
				होशंगाबाद	31.6	...	...	...	...	धान	...	...	...	...	बिगड़ी	20%	...	...	...	...	...
सिवनी-मालवा	1.6			...	...	...	...	सोयाबीन	...	...	...	...	बिगड़ी	65%	...	...	...	...	...		
बावई	6.0			...	...	...	...	मक्का	...	...	...	...	बिगड़ी	20%	...	...	...	...	...		
इटारसी	66.6			...	...	...	...	तुअर	...	...	...	...	बिगड़ी	65%	...	...	...	...	...		
सोहागपुर	12.0			...	...	...	...	तिल	...	...	...	...	सामान्य	...	...	...	...	...	...		
पिपरिया	37.4			...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
बनखेड़ी	3.0			...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
डोलरिया	31.0			...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
पचमढी	27.6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...				

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
44.	हरदा :		..	..	..	..	..	सोयाबीन	..	..	अधिक	25%	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		हरदा	3.3	..	..	..	..	उड़द	..	..	कम	60%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		खिड़किया	49.0	..	..	..	..	मूंग	..	..	कम	50%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		सिराली	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		रेहटगांव	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		हंडिया	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	टिमरनी	4.6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
45.	जबलपुर:	..	पर्याप्त	..	..	..	..	धान	..	..	कम	25%	सुधरी हुई	2%	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. ..	8. पर्याप्त.
		आधारताल	30.0	..	..	..	..	तुअर	..	..	अधिक	2%	सुधरी हुई	2%	..	..	..	..	..
		कुण्डम	5.6	..	..	..	..	उड़द	..	..	कम	30%	सुधरी हुई	2%	..	..	..	..	..
		सीहोरा	85.0	..	..	..	..	मूंग	..	..	कम	80%	सुधरी हुई	2%	..	..	..	..	..
		पाटन	6.4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		मझौली	9.7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
46.	कटनी :	शाहपुरा	42.7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		..	पर्याप्त	..	..	..	..	धान	..	..	समान	..	..	..	5. पर्याप्त	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बहोरीबंद	20.5	..	..	..	..	तिल	..	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..
		ढीमरखेड़ा	36.5	..	..	..	..	उड़द	..	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..
		रीठी	5.0	..	..	..	..	मक्का	..	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..
		बड़वारा	5.0	..	..	..	..	तुअर	..	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..
		मुड़वारा (क)	28.6	..	..	..	..	मूंग	..	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..
		विजयराषवगढ़	16.0	..	..	..	..	अन्य	..	..	समान	..	..	..	..	..	..	..	..
47.	नरसिंहपुर :	बरही	4.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		..	पर्याप्त	..	..	..	..	गन्ना	..	..	अधिक	5%	..	..	5. ..	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		नरसिंहपुर	21.0	..	..	..	..	धान	..	..	कम	15%	..	..	..	..	..	..	..
		गोटेगांव	46.0	..	..	..	..	सोयाबीन	..	..	अधिक	40%	..	..	..	..	..	..	..
		करेली	7.0	..	..	..	..	उड़द	..	..	कम	15%	..	..	..	..	..	..	..
		गाडरवारा	12.0	..	..	..	..	मूंग	..	..	अधिक	5%	..	..	..	..	..	..	..
	तेंदूखेड़ा	25.0	..	..	..	..	मक्का	..	..	अधिक	10%	..	..	..	..	..	..	..	

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
48.	मण्डला :	..	पर्याप्त	..	..	..	..	धान	तुअर	सोयाबीन	सामान्य	..	सामान्य	..	5. ..	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
	मण्डला	9.4	..	..	..	..	..	गन्ना	अन्य	..	सामान्य	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
	नैनपुर	52.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बिछिया	48.8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	निवास	10.6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	नारायणगंज	13.3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	घुघरी	19.1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
49.	डिण्डोरी:	13.3	पर्याप्त	जुताई चालू	..	..	..	धान	उड़द	मक्का	समान	..	सामान्य	..	5. ..	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
	डिण्डोरी	26.8	..	बोनी चालू	..	..	..	सोयाबीन	तुअर	तिल	सामान्य	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
	शाहपुरा	26.5	..	..	..	..	..	अन्य	..	..	..	..	समान	..	..	..	..	..	..
	बजाग	38.8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
50.	छिन्दवाड़ा :	38.8	पर्याप्त	..	..	वर्षा	40%	मक्का	धान	..	अधिक	10%	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. ..	8. पर्याप्त.
	छिन्दवाड़ा	17.0	..	..	..	..	..	ज्वार	उड़द	..	कम	30%	..	..	..	..	..	..	..
	तामिया	21.0	..	..	..	..	..	कपास	..	..	कम	10%	..	..	..	..	..	..	..
	परासिया	39.6	..	..	..	..	..	सोयाबीन	..	..	कम	65%	..	..	..	..	..	..	..
	जुन्नारदेव	25.0	..	..	..	..	..	तुअर	..	..	कम	2%	..	..	..	..	..	..	..
	सांसर	138.8	..	..	..	..	..	..	..	..	कम	2%	..	..	..	..	..	..	..
	बिछुआ	49.2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	अमरवाड़ा	21.3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	चौरई	24.2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	उमरेठ	98.8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	मोहखेड़	8.6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	हरई	26.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	चांद	21.8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	पांढुर्णा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
51.	सिवनी :	19.8	..	..	..	वर्षा	..	धान	मक्का	मूंगफली	अधिक	..	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
	सिवनी	5.0	..	..	..	..	..	सोयाबीन	गन्ना	..	अधिक	..	समान	..	..	..	..	..	..
	बरघाट	5.0	..	..	..	..	..	धान	तुअर	उड़द	कम	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
	कुरई	16.2	..	..	..	..	..	तिल	कपास	..	कम	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
52.	बालाघाट :	21.6	पर्याप्त	..	..	..	..	धान	..	..	अप्राप्त	..	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. ..	8. पर्याप्त.
	बालाघाट	19.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	लाँजी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	किरनापुर	18.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बैहर	22.3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	वारासिवनी	14.9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	कटंगी	7.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	लालबर्गा	34.8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	तिरोडी	59.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	परसवाड़ा	6.4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बिरसा	3.3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	खैरलाँजी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

टीप:- *जिला ग्वालियर व निवाड़ी से पत्रक अप्राप्त है.

(1155)

बी. बी. अग्निहोत्री,
उप-आयुक्त,
वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.